

**स्टेट बैंक समूह का
31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
समेकित वित्तीय विवरण
Consolidated Financial Statements
of State Bank Group
for the year ended 31st March 2011**

भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (समेकित) तुलनपत्र

STATE BANK OF INDIA (CONSOLIDATED) BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2011

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

पूंजी और देयताएँ	अनुसूची सं.	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule No.	As on 31.3.2011 (Current Year)	As on 31.3.2010 (Previous Year)
		₹	₹
पूंजी			
Capital	1	634,99,90	634,88,26
आरक्षितियाँ और अधिशेष			
Reserves & Surplus	2	82836,25,33	82500,69,85
अल्पांश हित			
Minority Interest		2977,16,78	2631,27,33
जमाशियाँ			
Deposits	3	1255562,48,44	1116464,56,45
उधार			
Borrowings	4	142470,76,57	122074,57,20
अन्य देयताएँ और प्रावधान			
Other Liabilities and Provisions	5	163416,58,03	125837,97,46
	योग		
	TOTAL	1647898,25,05	1450143,96,55
आस्तियाँ	अनुसूची सं.	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
ASSETS	Schedule No.	As on 31.3.2011 (Current Year)	As on 31.3.2010 (Previous Year)
		₹	₹
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	119349,83,40	82195,58,06
बैंकों में जमाशियाँ और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन			
Balances with banks and money at call and short notice	7	35977,62,08	29658,29,06
विनिधान			
Investments	8	419066,44,91	412749,26,07
अग्रिम			
Advances	9	1006401,55,13	869501,64,21
अचल आस्तियाँ			
Fixed Assets	10	6486,83,24	6013,89,24
अन्य आस्तियाँ			
Other Assets	11	60615,96,29	50025,29,91
	योग		
	TOTAL	1647898,25,05	1450143,96,55
समाश्रित देयताएँ			
Contingent Liabilities	12	852755,36,14	697295,12,04
संग्रहण के लिए बिल			
Bills for Collection		68865,69,84	56491,42,87
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies	17		
लेखा-टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	18		

अनुसूची 1 — पूंजी

SCHEDULE 1 — CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous year)
	₹	₹
प्राधिकृत पूंजी - ₹ 10/- प्रति शेयर दर वाले 500,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 100,00,00,000) Authorised Capital - 500,00,00,000 (Previous Year 100,00,00,000) equity shares of ₹ 10/- each	5000,00,00	1000,00,00
निर्गमित पूंजी - ₹ 10/- प्रति शेयर दर वाले 63,50,83,106 (पिछले वर्ष 63,49,68,500) Issued Capital - 63,50,83,106 (Previous Year 63,49,68,500) Equity Shares of ₹ 10/- each	635,08,31	634,96,85
अभिदत्त और संदत्त पूंजी - ₹ 10/- प्रति शेयर दर वाले 63,49,98,991 शेयर (पिछले वर्ष 63,48,82,644) [इसमें 1,81,05,360 (पिछले वर्ष 2,24,86,090) इक्विटी शेयर सम्मिलित हैं जो 90,52,680 (पिछले वर्ष 1,12,43,045) वैश्विक जमा रसीदों के रूप में हैं] Subscribed and Paid up Capital - 63,49,98,991 (Previous Year 63,48,82,644) equity shares of ₹ 10/- each [includes 1,81,05,360 (2,24,86,090 as on 31.03.2010) equity shares represented by 90,52,680 (1,12,43,045 as on 31.03.2010) Global Depository Receipts	634,99,90	634,88,26
योग / TOTAL	634,99,90	634,88,26

अनुसूची 2 — आरक्षितियाँ और अधिशेष

SCHEDULE 2 — RESERVES & SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)
	₹	₹
I. कानूनी आरक्षितियाँ Statutory Reserves		
अथशेष		
Opening Balance	43443,25,36	36281,51,06
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	3480,46,04	7203,39,29
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	7927,41,00	41,64,99
	38996,30,40	43443,25,36
II. पूंजी आरक्षितियाँ # Capital Reserves #		
अथशेष		
Opening Balance	2028,22,23	1830,57,48
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	73,09,64	197,64,75
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	8,72,56	—
	2092,59,31	2028,22,23

अनुसूची 3 — निक्षेप
SCHEDULE 3 — DEPOSITS
(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

				31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)
				₹	₹
क. I.	मांग निक्षेप				
A. I.	Demand Deposits				
	(i) बैंकों से				
	From Banks	10003,27,21	10616,33,47
	(ii) अन्य से				
	From Others	144177,51,02	134448,95,74
II.	बचत बैंक निक्षेप				
	Savings Bank Deposits	409609,16,28	331152,60,88
III.	सावधि निक्षेप				
	Term Deposits				
	(i) बैंकों से				
	From Banks	15170,00,63	18592,81,80
	(ii) अन्यो से				
	From Others	676602,53,30	621653,84,56
			योग TOTAL	1255562,48,44	1116464,56,45
ख.	(i) भारत स्थित शाखाओं के निक्षेप				
B.	Deposits of Branches in India	1196484,91,96	1065604,63,57
	(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के निक्षेप				
	Deposits of Branches outside India	59077,56,48	50859,92,88

अनुसूची 4 — उधार
SCHEDULE 4 — BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)
	₹	₹
I. भारत में उधार		
Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	2236,40,00	—
(ii) अन्य बैंक Other Banks	9786,70,18	10011,21,92
(iii) अन्य संस्थाएँ और अभिकरण Other Institutions and Agencies	9061,39,16	4835,96,80
(iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	3890,00,00	3695,00,00
(v) गौण ऋण एवं बांड Subordinated Debts & Bonds	43745,14,10	37300,80,00
(vi) प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर Redeemable Cumulative Preference Shares	—	10,00,00
II. भारत के बाहर से उधार		
Borrowings outside India		
(i) भारत के बाहर से उधार एवं पुनर्वित्त Borrowing and Refinance outside India	70951,20,73	63403,12,22
(ii) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	2787,42,20	2805,95,86
(iii) गौण ऋण एवं बांड Subordinated Debts & Bonds	12,50,20	12,50,40
योग TOTAL (I और II)	142470,76,57	122074,57,20
ऊपर I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured Borrowings included in I & II above	8884,55,90	7061,96,88

अनुसूची 5 — अन्य दायित्व और प्रावधान

SCHEDULE 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)
		₹	₹
I. संदेय बिल Bills payable	26563,64,59	26354,35,78
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Bank Adjustments (Net)	4,18,30	—
III. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office adjustments (Net)	21688,67,34	11831,52,32
IV. प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	11627,36,46	9471,42,26
V. आस्थगित कर दायित्व (निवल) Deferred Tax Liabilities (Net)	121,62,22	14,82
VI. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) Others (including provisions)	103411,09,12	78180,52,28
	योग TOTAL	163416,58,03	125837,97,46

अनुसूची 6 — नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ

SCHEDULE 6 — CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)
		₹	₹
I. हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	9148,70,38	8657,22,06
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Balances with Reserve Bank of India			
(i) चालू खाते में In Current Account	110198,59,87	73535,83,97
(ii) अन्य खातों में In Other Accounts	2,53,15	2,52,03
	योग TOTAL	119349,83,40	82195,58,06

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाराशियाँ और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE 7 — BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)
	₹	₹
I. भारत में		
In India		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ Balances with banks		
(क) चालू खाते में		
(a) In Current Account	1735,91,93	1471,68,55
(ख) अन्य जमा खातों में		
(b) In Other Deposit Accounts	3195,84,05	1040,38,16
(ii) मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice		
(क) बैंकों में		
(a) With banks	2685,53,85	1255,40,03
(ख) अन्य संस्थाओं में		
(b) With Other Institutions	1754,91,65	1998,70,97
	योग	
	TOTAL	
	9372,21,48	5766,17,71
II. भारत के बाहर		
Outside India		
(i) चालू खाते में In Current Account	13018,60,96	17562,08,04
(ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	1480,48,78	949,60,94
(iii) मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice	12106,30,86	5380,42,37
	योग	
	TOTAL	
	26605,40,60	23892,11,35
	कुल योग	
	GRAND TOTAL	
	(I और II)	
	35977,62,08	29658,29,06

अनुसूची 8 — विनिधान

SCHEDULE 8 — INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)
	₹	₹
I. भारत में विनिधान Investments in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	316088,12,01	315092,12,89
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	2587,87,09	2860,25,92
(iii) शेयर Shares	25080,08,32	20069,42,74
(iv) डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	23778,87,12	24423,62,87
(v) सहयोगी Associates	1006,51,18	804,02,43
(vi) अन्य (यूनिटें आदि) Others (Units, etc.)	40289,94,27	40738,18,23
	योग	
	408831,39,99	403987,65,08
II. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियों में (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं) Government Securities (including local authorities)	3630,29,46	3283,43,72
(ii) सहयोगी Associates	51,59,97	40,86,84
(iii) अन्य (शेयर, डिबेंचर आदि) Other Investments (Shares, Debentures, etc.)	6553,15,49	5437,30,43
	योग	
	10235,04,92	8761,60,99
	कुल योग	
	419066,44,91	412749,26,07
	(I और II)	
III. भारत में विनिधान Investments in India in		
(i) विनिधानों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	412492,44,56	407027,20,12
(ii) मूल्यहास के लिए कुल प्रावधान Aggregate of Provisions / Depreciation	3661,04,57	3039,55,04
(iii) निवल विनिधान (ऊपर I से) Net Investments (vide I above)	408831,39,99	403987,65,08
IV. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India in		
(i) विनिधानों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	10456,90,92	8962,03,55
(ii) मूल्यहास के लिए कुल प्रावधान Aggregate of Provisions / Depreciation	221,86,00	200,42,56
(iii) निवल विनिधान (ऊपर II से) Net Investments (vide II above)	10235,04,92	8761,60,99
	कुल योग	
	419066,44,91	412749,26,07
	GRAND TOTAL (III और IV)	

अनुसूची 9 — अग्रिम

SCHEDULE 9 — ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)
		₹	₹
क. (I) क्रय किए गए और मितिकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र			
A. Bills purchased and discounted	64272,97,11	55186,74,14
(II) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार			
Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	435124,33,85	361214,81,72
(III) सावधि ऋण			
Term loans	507004,24,17	453100,08,35
	योग TOTAL	1006401,55,13	869501,64,21
ख. (I) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों से संबंधित अग्रिमों सहित)			
B. Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	706678,51,77	605877,86,90
(II) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित			
Covered by Bank / Government Guarantees	116331,78,21	91097,92,97
(III) अप्रतिभूत			
Unsecured	183391,25,15	172525,84,34
	योग TOTAL	1006401,55,13	869501,64,21
ग. (I) भारत में अग्रिम			
C. Advances in India			
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र			
Priority Sector	318873,29,53	250905,19,65
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र			
Public Sector	64079,72,69	63561,19,76
(iii) बैंक			
Banks	1637,26,44	1245,95,20
(iv) अन्य			
Others	505405,39,43	450145,44,82
	योग TOTAL	889995,68,09	765857,79,43
(II) भारत के बाहर अग्रिम			
Advances outside India			
(i) बैंकों से शोध्य			
Due from banks	22466,08,47	15661,39,86
(ii) अन्यो से शोध्य			
Due from others			
(क) क्रय किए गए और मितिकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र			
(a) Bills purchased and discounted	14820,36,26	25432,28,35
(ख) अभिषद उधार			
(b) Syndicated loans	38633,79,72	28109,68,23
(ग) अन्य			
(c) Others	40485,62,59	34440,48,34
	योग TOTAL	116405,87,04	103643,84,78
	कुल योग GRAND TOTAL (ग C. (I) और and ग C. (II))	1006401,55,13	869501,64,21

अनुसूची 10 — स्थिर आस्तियाँ
SCHEDULE 10 — FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
 (₹ in thousand)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)		31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)	
	₹	₹	₹	₹
I. क. परिसर Premises				
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	2260,58,00	2134,12,97
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	227,96,33	137,50,16
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	45,58,84	11,05,13
अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date	966,02,72	1476,92,77
			<u>892,61,83</u>	<u>1367,96,17</u>
II. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	12592,44,87	10838,09,70
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	2426,02,38	1922,16,86
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	812,25,58	167,81,69
अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date	9543,09,50	4663,12,17
			<u>8432,73,69</u>	<u>4159,71,18</u>
III. क. पट्टाकृत आस्तियाँ Leased Assets				
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	976,27,83	1091,73,13
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	2,21,92	—
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	84,41,02	115,45,30
प्रावधानों सहित अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date including provisions	888,50,50	971,30,75
			<u>5,58,23</u>	<u>4,97,08</u>
घटाएँ: पट्टा समायोजन और प्रावधान Less: Lease adjustment and provisions			4,50,18	1,08,05
			<u>4,77,89</u>	<u>19,19</u>
IV. निर्माणाधीन आस्तियाँ Assets under Construction	345,70,25	486,02,70
योग TOTAL			6486,83,24	6013,89,24

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 — OTHER ASSETS
(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)
	₹	₹
I. अंतर-बैंक समायोजन (निवल) Inter Bank adjustments (net)	—	5,93,06
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office adjustments (net)	1633,44,96	1784,13,90
III. प्रोदभूत ब्याज Interest accrued	12329,62,38	10647,51,07
IV. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	7146,19,41	5907,28,97
V. लेखन-सामग्री और स्टाम्प Stationery and stamps	126,20,02	158,00,96
VI. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	17,67,26	20,43,65
VII. आस्थगित कर आस्ति (निवल) Deferred tax asset (net)	1559,15,03	3433,72,04
VIII. अन्य Others #	37803,67,23	28068,26,26
	योग TOTAL	
	60615,96,29	50025,29,91

समेकन आधार पर साख ₹ 769,77,74 हजार शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 768,52,56 हजार)

Includes Goodwill on consolidation ₹ 769,77,74 thousand (P. Y. ₹ 768,52,56 thousand)

अनुसूची 12 — समाश्रित दायित्व
SCHEDULE 12 — CONTINGENT LIABILITIES
(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2011 (Current Year)	31.3.2010 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2010 (Previous Year)
	₹	₹
I. ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए बैंक के विरुद्ध दावे Claims against the bank not acknowledged as debts	1209,74,94	1045,19,90
II. अंशतः संदत्त विनिधानों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	15,25,22	3,11,88
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts	421259,55,48	352036,36,51
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	100106,67,96	81165,35,89
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	61564,91,59	37244,70,30
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ Acceptances, endorsements and other obligations	165199,53,77	140616,70,35
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी हैं Other items for which the banks are contingently liable...	103399,67,18	85183,67,21
	योग TOTAL	
	852755,36,14	697295,12,04
संग्रहण के लिए बिल Bills for collection	68865,69,84	56491,42,87

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

				अनुसूची सं. Schedule No.	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010
					₹	₹
I. आय						
INCOME						
अर्जित ब्याज						
Interest earned	13	113636,44,25	100080,73,19
अन्य आय						
Other Income	14	34207,47,85	33771,09,50
				योग TOTAL	147843,92,10	133851,82,69
II. व्यय						
EXPENDITURE						
व्यय किया गया ब्याज						
Interest expended	15	68086,40,16	66637,50,87
प्रचालन व्यय						
Operating expenses	16	46518,00,73	42415,39,44
प्रावधान और आकस्मिक व्यय						
Provisions and contingencies		22059,57,50	12785,28,54
				योग TOTAL	136663,98,39	121838,18,85
III. लाभ						
PROFIT						
वर्ष के लिए निवल लाभ						
Net Profit for the year		11179,93,71	12013,63,84
घटाएं : अल्पांश हित						
Less: Minority Interest		494,98,78	279,80,61
समूह लाभ						
Group Profit		10684,94,93	11733,83,23
आगे लाया गया शेष						
Balance Brought forward		58,58,15	215,99,68
				योग TOTAL	10743,53,08	11949,82,91
विनियोजन						
APPROPRIATIONS						
कानूनी आरक्षितियों को अंतरण						
Transfer to Statutory Reserves		3388,50,53	7153,61,49
अन्य आरक्षितियों को अंतरण						
Transfer to Other Reserves		4573,55,45	2511,47,09
प्रस्तावित लाभांश						
Proposed Dividend		1904,99,70	1904,64,79
लाभांश पर कर						
Tax on Dividend		353,55,11	321,51,39
अतिशेष जो तुलनपत्र में आगे ले जाया गया है						
Balance carried over to Balance Sheet		522,92,29	58,58,15
				योग TOTAL	10743,53,08	11949,82,91
प्रति शेयर मूल आय / Basic earnings per share					₹ 168.28	₹ 184.82
प्रति शेयर न्यूनीकृत आय / Diluted earnings per share					₹ 168.28	₹ 184.82
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ / Significant Accounting Policies...					17	
लेखा-टिप्पणियाँ / Notes on Accounts					18	

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज

SCHEDULE 13 — INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010
	₹	₹
I. अग्रिमों/विनिमय पत्रों पर ब्याज/मितीकाटा Interest/discount on advances/bills	83797,22,37	72298,73,90
II. विनिधानों पर आय Income on investments	27679,47,57	24614,07,39
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	698,93,71	1826,54,18
IV. अन्य Others	1460,80,60	1341,37,72
योग TOTAL	113636,44,25	100080,73,19

अनुसूची 14 — अन्य आय

SCHEDULE 14 — OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010
	₹	₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	13958,94,27	11858,71,93
II. विनिधानों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on sale of investments (Net)	3091,75,23	4930,43,83
III. विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on revaluation of investments (Net)...	(135,12,21)	3022,98,14
IV. पट्टाकृत आस्तियों सहित भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on sale of land, buildings and other assets including leased assets (Net)	(20,74,79)	(9,94,81)
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on exchange transactions (Net)	1754,75,77	1866,60,70
VI. भारत/विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश Dividends from Associates in India/abroad	5,08,74	15,08,77
VII. वित्तीय पट्टों से आय Income from financial Lease	2,06,83	10,41,72
VIII. क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क Credit card membership/service fees	227,53,11	191,09,14
IX. जीवन बीमा प्रीमियम (निवल) Insurance Premium Income (Net)	12851,84,46	9920,39,38
X. सहयोगियों से आय का हिस्सा Share of earnings from associates	218,17,57	214,43,49
XI. विविध आय Miscellaneous Income	2253,18,87	1750,87,21
योग TOTAL	34207,47,85	33771,09,50

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज

SCHEDULE 15 — INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010
	₹	₹
I. निक्षेपों पर ब्याज Interest on deposits	60749,67,56	61080,61,30
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings	2993,56,30	1405,98,91
III. अन्य Others	4343,16,30	4150,90,66
योग TOTAL	68086,40,16	66637,50,87

अनुसूची 16 — प्रचालन व्यय

SCHEDULE 16 — OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010
	₹	₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	19979,57,68	16331,06,44
II. भाटक, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	2436,13,89	2136,15,35
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री Printing and stationery	349,45,33	313,00,59
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	432,13,40	337,72,66
V. पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Leased Assets	3,965	4,23,71
VI. बैंक की अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त) Depreciation on Fixed Assets (Other than Leased Assets)	1380,15,51	1317,32,76
VII. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	6,23,27	8,10,41
VIII. लेखा-परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees & expenses)	190,58,29	173,78,88
IX. विधि प्रभार Law charges	207,21,48	129,80,19
X. डाक महसूल, तार और टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones, etc.	484,98,32	408,54,22
XI. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	474,52,05	415,85,45
XII. बीमा Insurance	1086,09,08	940,66,25
XIII. आस्थगित आय व्यय का परिशोधन Amortization of deferred revenue expenditure	18,22,03	6,90,26
XIV. क्रेडिट कार्ड प्रचालन से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses relating to Credit Card operations...	360,84,92	231,90,39
XV. बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses relating to Insurance Business ...	14726,33,60	14171,28,75
XVI. अन्य व्यय Other expenditure	4385,12,23	5489,03,13
योग TOTAL	46518,00,73	42415,39,44

अनुसूची 17

महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ :

क. तैयार करने का आधार :

संलग्न वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, अवधिगत लागत आधार के अनुसार लेखा के उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी भौतिक पहलुओं के अनुरूप हैं जिनमें प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदण्ड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक, और भारत में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशियाँ तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और यथोचित हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

ग. समेकन का आधार:

- समूह (जिसमें 30 अनुषंगियाँ, 8 संयुक्त उद्यम और 26 सहयोगी शामिल हैं) के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

क. भारतीय स्टेट बैंक के लेखा परीक्षित खाते (मूल कंपनी)।

ख. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा "समेकित वित्तीय विवरणों" के लिए जारी लेखा मानक 21 के अनुसार सभी अंतः समूह भौतिक बकाया/लेनदेन, गैर वसूलीकृत लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहाँ आवश्यक हुआ है वहाँ आवश्यक समायोजन करने के उपरान्त अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमशः अक्षरशः समेकन किया गया है।

ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन : भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के 'संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना से संबंधित लेखा मानक-27 के अनुसार 'समानुपातिक समेकन' किया गया है।

घ. 'सहयोगियों' में किए गए निवेश का लेखाकरण 'ईक्विटी-पद्धति' के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के "समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण से संबंधित लेखा मानक 23 के अनुसार किया गया है।

- अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की ईक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूँजी आरक्षितियों के रूप में दिखाया गया है।

- समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

क. जिस तिथि को किसी अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की ईक्विटी-राशि, और

ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के संबंध स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि (ईक्विटी) में अल्पांश-शेयर का उतार-चढ़ाव।

घ. महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. आय निर्धारण

- 1.1 इससे भिन्न किए गए उल्लेख को छोड़कर आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। विदेश स्थित कार्यालयों / इकाइयों के संबंध में आय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है, जिस देश में वे कार्यालय/ इकाइयाँ स्थित हैं।

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

A. Basis of Preparation:

The accompanying financial statements have been prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting, unless otherwise stated and conform in all material aspect to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act, 1956, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the prevalent accounting practices in India.

B. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

C. Basis of Consolidation:

- Consolidated financial statements of the Group (comprising of 30 subsidiaries, 8 Joint Ventures and 26 Associates) have been prepared on the basis of:

a. Audited accounts of State Bank of India (Parent).

b. Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/transactions, unrealised profit/loss, and making necessary adjustments wherever required for non-uniform accounting policies as per AS 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

c. Consolidation of Joint Ventures - 'Proportionate Consolidation' as per AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" of the ICAI.

d. Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" of the ICAI.

- The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group's portion of the equity of the subsidiaries is recognised in the financial statements as goodwill / capital reserve.

- Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

a. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made, and

b. The minority share of movements in revenue reserves/loss (equity) since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

D. Significant Accounting Policies

1. Revenue recognition

- 1.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated. In respect of foreign offices/entities, income is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign offices/entities are located.

- 1.2 निम्नलिखित को छोड़कर लाभ और हानि खाते में निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है (i) अग्रिमों, पट्टों और विनिधानों से समाविष्ट अर्जाक आस्तियों से आय, जिसका निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक / विदेश स्थित कार्यालयों / इकाइयों के मामले में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकरण कहलाएंगे) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) विनिधानों की आवेदन-राशि पर ब्याज, (iii) विनिधानों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iv) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय “ट्रेडिंग” के रूप में नामित।
- 1.3 विनिधानों की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है, तथापि, ‘परिपक्वता के लिए रखे गए’ श्रेणी के विनिधानों की बिक्री पर होनेवाले लाभ को प्रयोज्य करें और ‘पूँजी आरक्षित खाते’ में सांविधिक आरक्षित निधि हेतु अंतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को घटाने के बाद समायोजित किया गया है।
- 1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि के लिए पट्टे की बकाया निवल विनिधान की राशि पर पट्टे की ब्याज दर का उपयोग करके किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल विनिधान के समान राशि के अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टा किरायों का मूल राशि और वित्त आय में प्रभाजन वित्त पट्टों से सम्बद्ध बकाया निवल प्रावधानों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप के आधार पर किया गया है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल विनिधान राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।
- 1.5 “परिपक्वता के लिए रखे गए” श्रेणी में विनिधान पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नानुसार अभिज्ञान में लिया गया है :
- ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों के संदर्भ में इसे बिक्री / शोधन के समय अभिज्ञान में लिया गया है।
 - शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।
- 1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध होता है वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।
- 1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन का आकलन गारंटी की पूरी अवधि के लिए किया गया है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया गया है। इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय का निर्धारण वसूली के बाद किया गया है।
- 1.8 विशेष गृह ऋण योजना (दिसंबर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत भुगतान किया गया एक बारगी बीमा प्रीमियम ऋण की 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में परिशोधित किया गया है।
- 1.9 गैर-बैंकिंग इकाइयाँ
- मर्चेन्ट बैंकिंग:**
- ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क को शामिल किया गया है।
 - सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी नियोजन शुल्क को शामिल किया गया है।
 - सार्वजनिक निर्गमों से संबंधित हामीदारी-कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आबंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात लेखे में लिया गया है।
 - सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से संग्रहण और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।
 - शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टाम्प शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल हैं।
- 1.2 Interest income is recognised in the Profit and Loss Account as it accrues except (i) income from non-performing assets (NPAs), comprising of advances, leases and investments, which is recognised upon realisation, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators in case of foreign offices/entities (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities), (ii) interest on application money on investments (iii) overdue interest on investments and bills discounted, (iv) Income on Rupee Derivatives designated as “Trading”
- 1.3 Profit or Loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account, however the profit on sale of investments in the ‘Held to Maturity’ category is appropriated net of applicable taxes and amount required to be transferred to statutory reserve to ‘Capital Reserve Account’.
- 1.4 Income from finance leases is calculated by applying the interest rate implicit in the lease to the net investment outstanding in the lease, over the primary lease period. Leases effective from April 1, 2001 are accounted as advances at an amount equal to the net investment in the lease. The lease rentals are apportioned between principal and finance income based on a pattern reflecting a constant periodic return on the net investment outstanding in respect of finance leases. The principal amount is utilized for reduction in balance of net investment in lease and finance income is reported as interest income.
- 1.5 Income (other than interest) on investments in “Held to Maturity” (HTM) category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows :
- On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.
 - On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.
- 1.6 Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.
- 1.7 All other commission and fee incomes are recognised on their realisation except for (i) Guarantee commission on deferred payment guarantees, which is spread over the period of the guarantee and (ii) Commission on Government Business, which is recognised as it accrues.
- 1.8 One time Insurance Premium paid under Special Home Loan Scheme (December 2008 to June 2009) is amortised over average loan period of 15 years.
- 1.9 **Non-banking entities**
- Merchant Banking:**
- Issue management and advisory fees are recognised as per the terms of agreement with the client.
 - Fees for private placement are recognised on completion of assignment.
 - Underwriting commission relating to public issues is accounted for on finalisation of allotment of the public issue.
 - Brokerage income relating to public issues/mutual fund/other securities is accounted for based on mobilisation and intimation received from clients/intermediaries.
 - Brokerage income in relation to stock broking activity is recognized on the trade date of transactions and includes stamp duty and transaction charges.

आस्ति प्रबंधन:

- क. संबंधित योजनाओं में सहमत विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को अभिज्ञान में लिया गया है। इन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है (इसमें जहाँ लागू हो अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को नहीं शामिल किया गया है।) और यह सेबी (म्यूचुअल-फंड) विनियम 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।
- ख. संविदा शर्तों के अनुसार, संविभाग सलाहकारी सेवाओं से प्राप्त आय को प्रोद्भव आधार पर शामिल किया गया है।
- ग. प्रत्याभूत घाटा-योजनाओं से होने वाली वसूली, जिसे पहले व्यय माना गया था, को प्राप्त के वर्ष में आय के रूप में माना गया है।
- घ. योजना व्यय: निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- ङ. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्त आधार पर लेखे में ली गई है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

- क. सदस्यता ग्रहण शुल्क तथा प्रथम वार्षिक शुल्क को एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है क्योंकि यह ज्यादा सटीक ढंग से उस अवधि को दर्शाती है, जिससे शुल्क संबंधित है।
- ख. विनियम आय को प्रोद्भव आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- ग. सभी अन्य सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

अनर्जक परिसंपत्तियों, जहाँ वसूली होने पर आय को हिसाब में लिया जाता है, के मामले को छोड़कर फैक्टरिंग सेवा शुल्कों को प्रोद्भव आधार पर हिसाब में लिया जाता है। कंपनी द्वारा फैक्टरिंग/वित्तीय सीमाओं की स्वीकृति के बाद प्रक्रिया शुल्क प्रोद्भूत होते हैं।

जीवन बीमा:

- क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, जीवन बीमा प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुनःप्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में एसोसिएटेड इकाइयों के आर्बटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है।
- ख. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम को पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई संधि अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।
- ग. मृत्यु से संबंधित जीवन बीमा दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। वर्ष के अंत तक की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है। परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है। वार्षिक लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब वे देय होते हैं। अभ्यर्पणों को अधिसूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। जहाँ प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं। पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।
- घ. कमीशन जैसे अभिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अभिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।
- ङ. बीमा पालिसियों के लिए देयता : सभी जीवन बीमा पालिसियों की बीमांकित देयता की गणना- इंस्टीट्यूट ऑफ एक्च्यूअरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार -नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है।

Asset Management:

- a. Management fee is recognised at specific rates agreed with the relevant schemes, applied on the average daily net assets of each scheme (excluding inter-scheme investments, where applicable, and investments made by the company in the respective scheme) and are in conformity with the limits specified under SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.
- b. Portfolio Advisory Service income is recognised on accrual basis as per the terms of the contract.
- c. Recovery from guaranteed schemes of deficit earlier recognised as expense is recognised as income in the year of receipt.
- d. Scheme Expenses: Expenses of schemes in excess of the stipulated rates are charged to the Profit and Loss Account.
- e. Recovery, if any, on realisation of devolved investments of schemes acquired by the company in terms of right of subrogation is accounted on the basis of receipts.

Credit Card Operations:

- a. Joining membership fee and first annual fee have been recognised over a period of one year as they more closely reflects the period to which the fee relate to.
- b. Interchange income is recognised on accrual basis.
- c. All other service fees are recorded at the time of occurrence of the respective transaction.

Factoring:

Factoring service charges are accounted on accrual basis except in the case of non-performing assets, where income is accounted on realisation. Processing charges are accrued upon acceptance of sanction of the factoring/financing limits by the Company.

Life Insurance:

- a. Premium (net of service tax) is recognized as income when due from policyholders. Uncollected premium from lapsed policies is not recognised as income until such policies are revived. In respect of linked business, premium income is recognised when the associated units are allotted.
- b. Premium ceded on reinsurance is accounted in accordance with the terms of the treaty or in-principle arrangement with the Re-Insurer.
- c. Claims by death are accounted when intimated. Intimations upto the end of the year are considered for accounting of such claims. Claims by maturity are accounted on the policy maturity date. Annuity benefits are accounted when due. Surrenders are accounted as and when notified. Claims cost consist of the policy benefit amounts and claims settlement costs, where applicable. Amounts recoverable from re-insurers are accounted for in the same period as the related claims and are reduced from claims.
- d. Acquisition costs such as commission; medical fees etc. are costs that are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts and are expensed as and when incurred.
- e. Liability for life policies: The actuarial liability of all the life insurance policies has been calculated by the appointed actuary as per the guidelines prescribed by the Institute of Actuaries of India.

साधारण बीमा :

- क. प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) का निर्धारण सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में किया गया है। प्रीमियम में होने वाले अन्य अनुवर्ती संशोधन का निर्धारण शेष जोखिम अवधि या संविदा अवधि में किया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होनेवाले समायोजनों का निर्धारण उस अवधि में किया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।
- ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन का निर्धारण उस अवधि में आय के रूप में किया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, का निर्धारण लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में किया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।
- ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम की शुरुआत होने के आधार पर उपचित की गई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत का निर्धारण देय होने के समय किया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने का निर्धारण उस अवधि में किया गया है जिसमें वह देय होता है।
- घ. अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई हैं जिसमें वे उपस्थित हुई हैं।
- ङ. दावे का निर्धारण नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर किया गया है। तुलन पत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा, अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया गया है।
- च. दावा संबंधी देयताएं जो किसी लेखा अवधि के दौरान उपचित हो गई हैं परंतु लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं की गई है (आईबीएनआर) या पर्याप्त रूप से सूचित नहीं की गई हैं (अर्थात् इस टिप्पणी के साथ सूचित की गई कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है (आईबीएनआईआर), से संबंधित प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीए की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता/परामर्शी बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं संबद्ध सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुल्क को कंपनी और एनपीएस न्यासियों के बीच हुए निवेश प्रबंधन करार (आइएमए) के अनुसार तैयार की गई संबद्ध योजनाओं में निर्दिष्ट सहमत दरों पर प्रोद्भूत आधार पर शामिल किया गया है। जहाँ कहीं सेवा कर की वसूली की गई, वहाँ आय में सेवा कर को शामिल नहीं किया गया है।

म्यूचुअल फण्ड न्यासी परिचालन :

न्यासधारिता शुल्कों / प्रबंधन शुल्कों को कंपनियों के बीच हुई संविदा की संबंधित शर्तों के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर शामिल किया गया है।

General Insurance:

- a. Premium (net of service tax), including reinstatement premium, on direct business and reinsurance accepted, is recognized as income over the contract period or the period of risk, whichever is appropriate, on gross basis under 1/365 method. Any subsequent revision to premium is recognized over the remaining period of risk or contract period. Adjustments to premium income arising on cancellation of policies are recognised in the period in which it is cancelled.
- b. Commission received on reinsurance ceded is recognised as income in the period in which reinsurance risk is ceded. Profit commission under re-insurance treaties, wherever applicable, is recognized as income in the year of final determination of the profits as intimated by Reinsurer and combined with commission on reinsurance ceded.
- c. In respect of proportional reinsurance ceded, the cost of reinsurance ceded is accrued at the commencement of risk. Non-proportional reinsurance cost is recognized when due. Any subsequent revision to, refunds or cancellations of premiums is recognized in the period in which they occur.
- d. Acquisition costs such as commission, policy issue expenses etc. are costs that are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.
- e. Claim is recognized as and when a loss occurrence is reported. Provision for claims outstanding payable as on the date of Balance Sheet is net of reinsurance, salvage value and other recoveries as estimated by the management.
- f. Provision in respect of claim liabilities that may have been incurred during an accounting period but not reported or claimed (IBNR) or not enough reported (i.e reported with information insufficient for making a reasonable estimate of likely claim amount) (IBNER) before the end of the accounting period, is the amount determined by the Appointed Actuary/Consulting Actuary based on actuarial principles in accordance with the Guidance Notes issued by the Actuarial Society of India with the concurrence of the IRDA and any directions issued by IRDA in this respect.

Custodial & related services:

The revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the company and the revenue can be reliably measured.

Pension Fund Operation:

Management fees is recognized at specified rates agreed with the relevant schemes calculated as per the Investment Management Agreement (IMA) entered into between the Company and NPS Trustees, on accrual basis. Revenue excludes Service Tax, wherever recovered.

Mutual Fund Trustee Operation:

Trusteeship fees / management fees are recognised on an accrual basis in accordance with the respective terms of contract between the Companies.

2. विनिधान

सरकारी प्रतिभूति लेनदेन 31.12.2010 तक 'क्रय-विक्रय की तिथि' को और 01.01.2011 से 'समाधान तिथि' को दर्ज किए गए हैं। सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर विनिधान 'क्रय-विक्रय तिथि' को दर्ज किए गए हैं।

2.1 वर्गीकरण

विनिधानों को 3 श्रेणियों यथा - 'परिपक्वता के लिए रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' और 'व्यवसाय के लिए रखे गए' में वर्गीकृत किया गया है।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

- उन विनिधानों को 'परिपक्वता के लिए रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखा जाता है।
- उन विनिधानों को 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांततः पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है।
- जिन विनिधानों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- प्रत्येक विनिधान को इसके क्रय के समय 'परिपक्वता के लिए रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' या 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

2.3 मूल्यन :

- किसी विनिधान की अभिग्रहण लागत का निर्धारण करने में :
 - अभिदानों पर प्राप्त दलाली / कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।
 - विनिधानों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।
 - ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय मद के रूप में माना गया है और इन्हें लागत/बिक्री प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।
 - एफएस और एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत निवेश की लागत का निर्धारण समूह इकाइयों की भारत औसत लागत प्रणाली के आधार पर और एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की लागत का निर्धारण एसबीआई द्वारा (पहले आए पहले जाए) आधार पर और अन्य समूह इकाइयों द्वारा भारत औसत लागत प्रणाली के आधार पर किया गया है।
- उपरोक्त तीन श्रेणियों में प्रतिभूति के अंतरण को अंतरण की तिथि को न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के अनुसार लेखे में लिया गया है, और ऐसे अंतरण पर हुए मूल्यहास, यदि हो तो, का प्रावधान किया गया है।
- राजस्व बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यन अग्रणीत व्यय आधार पर किया गया है।
- परिपक्वता के लिए रखे गए श्रेणी :** परिपक्वता के लिए रखे गए श्रेणी के अंतर्गत निवेश जब तक अंकित मूल्य से अधिक न हो, अभिग्रहण लागत आधार पर लिए गए हैं जिसमें प्रीमियम का परिशोधन स्थायी लागत आधार पर शेष परिपक्वता अवधि में किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को 'विनिधानों पर ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति समायोजित किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए विनिधानों का मूल्यन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक-23 के अनुसार ईक्विटी लागत पर किया गया है। अस्थायी निवेशों को छोड़कर प्रत्येक निवेश हेतु पृथक - पृथक रूप से हास के लिए प्रावधान किया गया है।

2. Investments

The transactions in Government Securities are recorded on "Trade Date" upto 31.12.2010 and on "Settlement Date" with effect from 01.01.2011. Investments other than Government Securities are recorded on "Trade Date".

2.1 Classification

Investments are classified into three categories, viz. Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT)

2.2 Basis of classification:

- Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
- Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
- Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
- An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

2.3 Valuation:

- In determining the acquisition cost of an investment:
 - Brokerage/commission received on subscriptions is reduced from the cost.
 - Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.
 - Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from the cost/sale consideration.
 - Cost of investment under AFS and HFT category is determined at the weighted average cost method by the group entities and cost of investments under HTM category is determined on FIFO basis (first in first out) by SBI and weighted average cost method by other group entities.
- The transfer of a security amongst the above three categories is accounted for at the least of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- Treasury Bills and Commercial Papers are valued at **carrying cost**.
- Held to Maturity category:** Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortised over the period remaining maturity on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments". Investments in Regional Rural Banks (RRBs) are valued at equity cost determined in accordance with AS 23 of the ICAI. A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

- v. विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखी गई श्रेणियाँ : ए एफ एस और एच एफ टी श्रेणियों में रखे गए विनिधानों का पृथक-पृथक रूप से बाजार मूल्य या विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य के आधार पर पुनर्मूल्यन किया गया है, और प्रत्येक श्रेणी के लिए केवल निवल मूल्यहास हेतु प्रावधान किया गया है तथा निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यहास के लिए प्रावधान होने पर, बाजार के लिए अलग करने के बाद प्रत्येक प्रतिभूति का मूल्य अपरिवर्तित रहा।
- vi. किसी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) लिखतों पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तदनुसार, उन मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक ही सीमित है, वहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य, की गणना ऐसे विनिधानों के मूल्यन के लिए की गई है।
- vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर विनिधानों को अनर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के विनिधान निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं :
- क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और यह 90 दिनों से अधिक अवधि से बकाया है।
- ख. ईक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों को रु. 1 प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक विनिधान माना जाएगा।
- ग. यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक - बही में अनर्जक आस्ति हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में विनिधान को और जारीकर्ता द्वारा विनिधान को अनर्जक विनिधान माना जाएगा।
- घ. उपर्युक्त, शर्त आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन प्रिफरेंस शेयरों पर भी लागू होगी, जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।
- ङ. ऐसे डिबेंचरों / बांडों में विनिधान जिन्हें अग्रिम की प्रकृति के विनिधान माना जाता है, उन पर अनर्जक विनिधान के वही मानदंड लगेगे जो विनिधानों पर लागू होते हैं।
- च. विदेशी इकाइयों के अनर्जक विनिधानों के संबंध में प्रावधान-स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक हो, उसके अनुसार किया गया है।
- viii. रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखा प्रणाली (भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत आने वाले लेनदेनों को छोड़कर)
- (क) रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची / खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋणान्वयन और उधार देने संबंधी लेनदेन के रूप में लेखे में लिया गया है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्य एकमुश्त विक्रय / क्रय लेनदेन की तरह किया गया है और प्रतिभूतियों के ऐसे संचलन को रेपो / रिवर्स रेपो खातों और प्रति-प्रविष्टि का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है और आय को ब्याज व्यय/आय के रूप में जैसी भी स्थिति हो, लेखे में लिया गया है। रेपो खाते के शेष को अनुसूची-4 (उधार) और रिवर्स रेपो खाते के शेष को अनुसूची-7 (बैंकों में शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य राशि) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- v. **Available for Sale and Held for Trading categories:** Investments held under AFS and HFT categories are individually revalued at the market price or fair value **determined as per Regulatory guidelines**, and only the net depreciation of each group for each category is provided for and net appreciation, is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.
- vi. Security receipts issued by an asset reconstruction company (ARC) are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the security receipts issued by the ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the ARC, is reckoned for valuation of such investments.
- vii. Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices/entities and respective regulators in case of foreign offices/entities. Investments of domestic offices become non-performing where:
- a. Interest/instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- b. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re. 1 per company on account of the non availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.
- c. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa.
- d. The above would apply mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- e. The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.
- f. In respect of foreign offices/entities, provisions for non performing investments are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.
- viii. **Accounting for Repo/ reverse repo transactions (other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI)**
- (a) The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo A/c is classified under schedule 4 (Borrowings) and

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय / विक्रय की गई प्रतिभूतियों को विनिधान खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रतिवर्तित किया गया है। उन पर व्यय / अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

balance in Reverse Repo A/c is classified under schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).

(b) Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

3.1 ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन गई हैं, जहाँ:

- i. सावधि ऋणों के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;
- ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता “असंगत” (“आउट ऑफ आर्डर”) रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा /आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या कोई राशि तुलनपत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों के लिए जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;
- iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;
- iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में, अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज 2 फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं;
- v. कृषि अग्रिमों के संबंध में, दीर्घावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक आस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अव-मानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

- i. अव-मानक : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रही है।
- ii. संदिग्ध : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अव-मानक श्रेणी में रही है।
- iii. हानिप्रद : ऐसी कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि का पता चल गया है किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, पर इसमें निम्नलिखित निर्धारित न्यूनतम प्रावधान मानदंडों को ध्यान में रखा गया है:

- अव-मानक आस्तियाँ :
- i. 10% का सामान्य प्रावधान
 - ii. उन ऋण जोखिमों के लिए, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य शुरू से ही 10% से अधिक नहीं है)

- संदिग्ध आस्तियाँ :
- प्रतिभूत भाग :
 - i. एक वर्ष तक - 20%
 - ii. एक से तीन वर्ष तक - 30%
 - iii. तीन वर्ष से अधिक 100%
 - अप्रतिभूत भाग : 100%
 - हानिप्रद आस्तियाँ : 100%

3. Loans /Advances and Provisions thereon

3.1 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by RBI. Loan assets become non-performing assets (NPAs) where:

- i. In respect of term loans, interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;
- ii. In respect of Overdraft or Cash Credit advances, the account remains “out of order”, i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period;
- iii. In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;
- iv. In respect of agricultural advances for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons;
- v. In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

3.2 NPAs are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

- i. Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.
- ii. Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
- iii. Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below :

- Substandard Assets:
- i. A general provision of 10%
 - ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio)

- Doubtful Assets:
- Secured portion:
 - i. Upto one year - 20%
 - ii. One to three years - 30%
 - iii. More than three years - 100%

- Unsecured portion 100%
- Loss Assets: 100%

- 3.4 विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के अनर्जक अग्रियों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में से जो अधिक था, के अनुसार किए गए हैं।
- 3.5 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है। यदि बिक्री निवल वही मूल्य से कम मूल्य पर की जाती है, तो कम प्राप्त हुई राशि को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है और यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर की जाती है, तो अतिरिक्त प्रावधान की राशि को रोककर रखा जाता है और उससे अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर हुई कमी/नुकसान को पूरा किया जाता है। निवल बही मूल्य रखे गए विशिष्ट प्रावधान तथा ईसीजीसी के प्राप्त दावों में से घटाने पर बकाया है।
- 3.6 अग्रिम कतिपय ऋण हानि प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटाकर दर्शाए गए हैं।
- 3.7 पुनर्संचित / पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने के अलावा, पुनर्संचना से पूर्व और के बाद ऋण के उचित मूल्य की अंतर राशि के लिए प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त के कारण, उचित मूल्य में हुई कमी और त्याग किए गए ब्याज के प्रावधान को अग्रियों में से घटाना गया है।
- 3.8 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियमकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।
- 3.9 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण राजस्व के रूप में किया गया है।
- 3.10 अनर्जक आस्तियों पर कतिपय प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची-5 के 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए हैं और निवल अनर्जक आस्तियां निकालने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है।
- 4. अस्थायी प्रावधान**
- बैंक में अग्रियों, विनिधानों और सामान्य प्रयोजन के लिए अलग-अलग अस्थायी प्रावधान करने और उनका उपयोग करने की अनुमोदित नीति है। सृजित किए जानेवाले अस्थायी प्रावधानों की राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में निर्धारित की जाती है। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से इस नीति में निर्दिष्ट की गई असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाली आकस्मिकताओं के लिए ही किया गया है।
- 5. बैंकिंग इकाइयों के लिए देशवार ऋण-जोखिम संबंधी प्रावधान**
- आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए कतिपय प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है, तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं एवं प्रावधान-अन्य" के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 6. डेरीवेटिव्स :**
- 6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र के बाहर की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा व्यापार प्रयोजनों हेतु विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर विनियम, मुद्रा विनियम और परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनियम तथा वायदा दर करार जैसी डेरीवेटिव्स संविदाएं करता है। तुलनपत्र की आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए की गई विनियम संविदाएं इस ढंग से तैयार की जाती हैं कि वे तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों के साथ प्रतिकूल एवं क्षतिपूर्ति प्रभाव को सहन कर सकें। ऐसे डेरीवेटिव्स
- 3.4 In respect of foreign offices/entities, provisions for non performing advances are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.
- 3.5 The sale of NPAs is accounted as per guidelines prescribed by RBI. If the sale is at a price below net book value, the shortfall is debited to the profit and loss account, and in case of sale for a value higher than net book value, the excess provision is retained and utilised to meet the shortfall / loss on sale of other financial assets. Net book value is outstanding as reduced by specific provisions held and ECGC claims received.
- 3.6 Advances are net of specific loan loss provisions, unrealised interest, ECGC claims received and bills rediscounted.
- 3.7 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for, in addition to provision for NPAs. The provision for diminution in fair value and interest sacrifice, arising out of the above, is reduced from advances.
- 3.8 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.
- 3.9 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue.
- 3.10 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets. These provisions are reflected in Schedule 5 of the balance sheet under the head "Other Liabilities & Provisions - Others" and are not considered for arriving at Net NPAs.
- 4. Floating Provision**
- The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purpose. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.
- 5. Provision for Country Exposure for Banking Entities**
- In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are held for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit, and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in schedule 5 of the balance sheet under the "Other liabilities & Provisions - Others".
- 6. Derivatives:**
- 6.1 The Bank enters into derivative contracts, such as foreign currency options, interest rate swaps, currency swaps, and cross currency interest rate swaps and forward rate agreements in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items. The impact of such derivative instruments is correlated with the movement

लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के संचालन के साथ जुड़ा हुआ है और प्रतिरक्षा लेखा सिद्धांतों के अनुसार लेखों में लिया गया है।

- 6.2 प्रतिरक्षा के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव्स संविदाएं प्रोद्भूत आधार पर दर्ज की गई हैं। जब तक अंतर्निहित आस्तियों / देयताओं को भी बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रतिरक्षा संविदाओं को बाजार मूल्य पर बही में शामिल नहीं किया जाता है।
- 6.3 उपर्युक्त को छोड़कर, अन्य सभी डेरीवेटिव्स संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतः स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार बाजार मूल्य पर बही में शामिल की गई हैं। बाजार मूल्य पर बही में शामिल किए गए डेरीवेटिव्स संविदाओं के संबंध में, बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को परिवर्तन की अवधि से लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है। डेरीवेटिव्स संविदाओं के अधीन प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय होती है, तो उसे लाभ और हानि खाते के जरिए प्रतिवर्तित किया गया है।
- 6.4 प्रदत्त या प्राप्त विकल्प प्रीमियम को विकल्प की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में दर्ज किया गया है। बेचे गए विकल्पों पर प्राप्त प्रीमियम और खरीदे गए विकल्पों पर प्रदत्त प्रीमियम के शेष को फोरेक्स ओवर दि काउंटर विकल्पों के लिए बाजार मूल्य पर बही में शामिल की जाने वाली राशि निर्धारित करने हेतु ध्यान में रखा गया है।
- 6.5 एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किए गए विदेशी मुद्रा विनिमय तथा व्यापार के उद्देश्य से किए गए ब्याज दर वायदा सौदों को एक्सचेंज द्वारा दी गई दरों के आधार पर प्रचलित बाजार दरों पर मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

7. अचल आस्तियाँ और मूल्यहास

- 7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यहास से कम लागत पर अंकन किया गया है।
- 7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागत और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई फीस शामिल हैं। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को/ इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।
- 7.3 इस देशी परिचालन के संबंध में मूल्यहास की दरें और मूल्यहास दर्शाने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यहास दर्शाने की पद्धति	मूल्यहास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर और एटीएम	सीधी कटौती प्रणाली	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	हासित मूल्य पद्धति	60%
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		अभिग्रहण वर्ष में 100% मूल्यहास
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती प्रणाली	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	हासित मूल्य पद्धति	आयकर नियम 1962 के अधीन निर्धारित दर पर

- 7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यहास 180 दिनों तक प्रयुक्त आस्तियों पर अर्धवर्ष के लिए तथा 180 दिनों से अधिक प्रयुक्त

of the underlying assets and accounted in accordance with the principles of hedge accounting.

- 6.2 Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying Assets / Liabilities are also marked to market.
- 6.3 Except as mentioned above, all other derivative contracts are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry. In respect of derivative contracts that are marked to market, changes in the market value are recognised in the profit and loss account in the period of change. Any receivable under derivatives contracts, which remain overdue for more than 90 days, are reversed through profit and loss account.
- 6.4 Option premium paid or received is recorded in profit and loss account at the expiry of the option. The Balance in the premium received on options sold and premium paid on options bought have been considered to arrive at Mark to Market value for forex Over the Counter options.
- 6.5 Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

7. Fixed Assets and Depreciation

- 7.1 Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.
- 7.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- 7.3 The rates of depreciation and method of charging depreciation in respect of domestic operations are as under:

Sr. No.	Description of fixed assets	Method of charging depreciation	Depreciation/ amortisation rate
1	Computers & ATM	Straight Line Method	33.33% every year
2	Computer software forming an integral part of hardware	Written Down Value Method	60%
3	Computer Software which does not form an integral part of hardware	—	100%, depreciated in the year of acquisition
4	Assets given on financial lease upto 31 st March 2001	Straight Line Method	At the rate prescribed under Companies Act 1956
5	Other fixed assets	Written down value method	At the rate prescribed under Income-tax Rules 1962

- 7.4 In respect of assets acquired during the year for domestic operations, depreciation is charged for half a year in respect of assets used for upto 180 days and for the full

आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए दर्शाया गया है, जबकि कंप्यूटरों और साफ्टवेयर पर मूल्यहास - इस आस्ति का उपयोग करने की अवधि से निरपेक्ष पूरे वर्ष के लिए दर्शाया गया है।

- 7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹ 1,000 से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।
- 7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराया उसी वर्ष के खर्च के रूप में दर्शाया गया है।
- 7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूँजी-वसूली) एवं मूल्यहास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखों में लिया गया है।
- 7.8 विदेशी शाखाओं/अनुभंगियों/सहयोगियों द्वारा धारित अचल आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

8. पट्टे

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंडों का उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन वित्तीय पट्टों में भी प्रयोग किया गया है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रणीत राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रणीत मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रणीत मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन

- विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।
- विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडई) की अंतिम तत्काल दरों के प्रयोग से दी गई है।
- विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दर के प्रयोग से दी गई है।
- विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना फेडई की अंतिम तत्काल दर के प्रयोग से की गई है।
- व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

year in respect of assets used for more than 180 days, except depreciation on computers and software, which is charged for the full year irrespective of the period for which the asset was put to use.

- 7.5 Items costing less than ₹ 1,000 each are charged off in the year of purchase.
- 7.6 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year.
- 7.7 In respect of assets given on lease by the Bank on or before 31st March 2001, the value of the assets given on lease is disclosed as Leased Assets under fixed assets, and the difference between the annual lease charge (capital recovery) and the depreciation is taken to Lease Equalisation Account.
- 7.8 In respect of fixed assets held at foreign offices/entities, depreciation is provided as per the regulations /norms of the respective countries.

8. Leases

The asset classification and provisioning norms applicable to advances, as laid down in Para 3 above, are applied to financial leases also.

9. Impairment of Assets

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

10. Effect of changes in the foreign exchange rate

10.1 Foreign Currency Transactions

- Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.
- Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot/forward rates.
- Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.
- Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is recognised in the Profit or Loss account.
- Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

- vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरें आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, के आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।
- viii. खुले विकल्प वाले मुद्रा वायदा लेनदेन में विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ / हानि को एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस के साथ दैनिक आधार पर निपटान किया गया है और ऐसे लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं/इकाइयों और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

- असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर विनिमय किया गया है।
- असमाकलित विदेशी परिचालनों के आय एवं व्यय का तिमाही औसत की अंतिम दर पर विनिमय किया गया है।
- निवल विनिधान के निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित में किया गया है।
- विदेशी कार्यालयों / अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों की विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई आस्तियों एवं देयताओं का विदेशी कार्यालयों / अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों की स्थानीय मुद्रा के अलावा उस देश के लिए लागू हाजिर दरों को प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में विनिमय किया गया है।

ख. समाकलित परिचालन:

- विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।
- समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रानीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के प्रयोग से की गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 नौकरी उपरांत हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

- समूह की कंपनियों में अलग अलग भविष्य निधि योजनाएँ लागू हैं, भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। समूह की कंपनियाँ निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करती हैं। इन अंशदान को, इस उद्देश्य

- Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.
- Gains / Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the profit and loss account.

10.2 Foreign Operations

Foreign branches/entities of the Bank and Offshore Banking Units have been classified as Non-integral Operations and Representative Offices have been classified as Integral Operations.

a. Non-integral Operations:

- Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.
- Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.
- Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.
- The Assets and Liabilities of foreign offices/subsidiaries /joint ventures in foreign currency (other than local currency of the foreign offices/subsidiaries/joint ventures) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

b. Integral Operations:

- Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.
- Monetary foreign currency assets and liabilities of integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date and the resulting profit/loss is included in the profit and loss account.
- Foreign currency non-monetary items which are carried in terms of historical cost are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

11. Employee Benefits:

11.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

11.2 Post Employment Benefits:

i. Defined Benefit Plan

- The group entities operate separate Provident Fund schemes. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Provident Fund scheme. The group entities contribute

के लिए स्थापित न्यास में प्रेषित कर दिया गया है तथा लाभ और हानि खाते में खर्च के रूप में दिखाया गया है। समूह की कंपनियाँ, वार्षिक अंशदान और ब्याज देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह ब्याज दर देय निर्दिष्ट न्यूनतम ब्याज दर के बराबर होती है। कंपनियाँ इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानती हैं।

- ख. समूह की कंपनियाँ, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करती हैं।
- ग. समूह की कंपनियाँ, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करती हैं। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि, जो सेवा नियमावली में निर्धारित उच्चतम सीमा है, से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।
- घ. समूह की कुछ कंपनियाँ सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती हैं। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमानुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। कंपनियाँ इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य वास्तविक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करती हैं।
- ङ. नियत हितलाभ प्रावधान लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर वास्तविक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है। वास्तविक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

ii. परिभाषित अंशदान योजनाएँ

बैंक 1 अगस्त, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) परिचालित करता है, जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, और बैंक की सेवा में आनेवाले ऐसे नए अधिकारी/कर्मचारी को विद्यमान एसबीआई पेंशन योजना के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं बनाया जा रहा है। इस विस्तृत योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक, इस योजना के अंतर्गत आनेवाले कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत इस योजना में अंशदान करते हैं और साथ में उतना ही अंशदान बैंक से किया जाता है। ये अंशदान बैंक में जमा के रूप में रखे गए हैं और उसी दर से ब्याज अर्जित करते हैं जो भविष्य निधि शेष के चालू खाते के लिए लागू हैं। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों एवं ब्याज का निर्धारण उसी वर्ष में एक व्यय के रूप में करता है जिससे वे संबंधित होते हैं।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :

- क. समूह का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत का वित्तपोषण समूह इकाइयों द्वारा आंतरिक स्तर पर किया गया है।

monthly at a determined rate. These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The group entities are liable for annual contributions and interests, which is payable at minimum specified rate of interest. The entities recognise such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate.

- b. The group entities operate separate gratuity and pension schemes, which are defined benefit plans.
- c. The group entities provide for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a ceiling in terms of service rules. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.
- d. Some group entities provide for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The entities make annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.
- e. The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/losses are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.

ii. Defined Contribution Plans

The bank operates a new pension scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 1st August, 2010, which is a defined contribution plan, such new joiners not being entitled to become members of the existing SBI Pension Scheme. Pending finalisation of the detailed scheme, the employees covered under the scheme contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. These contributions are retained as deposits in the bank and earn interest at the same rate as that of the current account of Provident Fund balance. The bank recognises such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate.

iii. Other Long Term Employee benefits:

- a. All eligible employees of the group are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the group entities.

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों में नियोजित कर्मचारियों से संबंधित कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन किया गया है और उसे संबंधित स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार लेखे में लिया गया है।

12. आय पर कर

12.1 वर्तमान कर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ-कर व्यय की कुल राशि आय कर व्यय है। चालू वर्ष के करों का निर्धारण “आय पर करों संबंधी लेखा” लेखा मानक 22 और भारत में प्रचलित कर नियमों के अनुसार विदेश स्थित अनुषंगियों के संबंधित देशों के कर नियमों का समायोजन करके किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में उस अवधि के दौरान हुए उतार-चढ़ाव आस्थगित कर समायोजन में समाविष्ट हैं।

12.2 आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन अधिनियमित कर - दरों और कर - कानूनों अथवा तुलनपत्र - तिथि के काफी पूर्व अधिनियमित दरों और कानून के आधार पर किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का अभिज्ञान विवेकपूर्ण आधार पर-आस्तियों और देयताओं के अग्रानीत मूल्य और उनके क्रमशः कर-आधार और अग्रानीत क्षतियों के बीच अवधिगत विभेद को ध्यान में रखकर किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है।

12.3 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली की निश्चितता होने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, प्रत्येक सूचित तिथि को रेखांकित और पुनर्निर्धारित किया गया है। जब यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया है कि ऐसी आस्थगित - कर - आस्तियों की वसूली भावी लाभ से की जा सकती है, तब आस्थगित-कर - आस्तियों का अभिज्ञान अनवशोषित मूल्यहास और कर हानियों के अग्रोषण पर किया गया है।

12.4 आय कर व्यय उनकी लागू विधियों के अनुसार मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए कर व्यय की कुल राशि है।

13. प्रति शेयर आय

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 20 - ‘प्रति शेयर आय’ के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरांत निवल लाभ (अल्पांश को छोड़कर) को उस वर्ष के लिए शेष ईक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना ईक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या और कम संभावना वाले ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ” के अनुसार जारी पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही बैंक प्रावधानों का निर्धारण करता है, यह संभव है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है।

b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

11.3 Employee benefits relating to employees employed at foreign offices/ entities are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

12. Taxes on income

12.1 Income tax expense is the aggregate amount of current tax, deferred tax and fringe benefit tax charge. Current taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices/entities, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.

12.2 Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted prior to the balance sheet date. Deferred tax assets and liabilities are recognised on a prudent basis for the future tax consequences of timing differences arising between the carrying values of assets and liabilities and their respective tax bases, and carry forward losses. The impact of changes in the deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

12.3 Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realisation is considered reasonably certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

12.4 Income tax expenses are the aggregate of the amounts of tax expense appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiaries/joint ventures, as per their applicable laws.

13. Earning per Share

13.1 The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 -‘Earnings per Share’ issued by the ICAI. Basic earnings per share are computed by dividing the net profit after tax (other than minority) by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

13.2 Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share is computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

14.1 In conformity with AS 29, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का अभिज्ञान नहीं किया गया है।

- i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी; अथवा
 - ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि
 - क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा; अथवा
 - ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।
- ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. शेयर जारी करने का व्यय

शेयर जारी करने के व्यय को शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाया गया है।

14.2 No provision is recognised for

- i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the group entities; or
- ii. any present obligation that arises from past events but is not recognised because
 - a. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - b. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

14.3 Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

15. Share Issue Expenses

Share issue expenses are charged to the Share Premium Account.

अनुसूची - 18

लेखा-टिप्पणियाँ

(राशि करोड़ रुपये में)

1. उन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं :

- 1.1 समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय निम्नांकित 30 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यमों और 26 सहयोगियों (मूल संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह में सम्मिलित) को शामिल किया गया है :

क) अनुषंगी

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%)
1.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	भारत	75.07
2.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	भारत	100.00
3.	स्टेट बैंक आफ इंदौर (25.08.2010 तक)	भारत	98.05
4.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	भारत	92.33
5.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	भारत	100.00
6.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	भारत	75.01
7.	एसबीआई कमर्शियल एण्ड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड	भारत	100.00
8.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00
9.	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00
10.	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	100.00
11.	एसबीआई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड	भारत	100.00
12.	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	71.56
13.	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00
14.	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	भारत	86.82
15.	एसबीआई पेंशन फण्ड प्रा. लिमिटेड	भारत	98.15
16.	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लिमिटेड@	भारत	65.00
17.	एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लि. @	भारत	74.00
18.	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	100.00
19.	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा)	कनाडा	100.00
20.	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलेफोर्निया)	यूएसए	100.00
21.	एसबीआई (मॉरीशस) लि.	मॉरीशस	93.40
22.	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	76.00
23.	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यूके	100.00
24.	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड@	भारत	60.00
25.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि. @	भारत	63.00
26.	एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कं. लि. @	भारत	74.00
27.	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को@	रूस	60.00
28.	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.05
29.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि. @	मॉरीशस	63.00
30.	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	100.00

* संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित एएस 27 में सीमित संशोधन होने के परिणामस्वरूप इन संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के वित्तीय विवरण, 'वित्तीय विवरणों का समेकन' से संबंधित एएस 21 के अनुसार समेकित किए गए हैं।

SCHEDULE 18

NOTES TO ACCOUNTS:

(Amount in Rupees in crores)

1. List of Subsidiaries/Joint Ventures/Associates considered for preparation of consolidated financial statements:

- 1.1 The 30 Subsidiaries, 8 Joint Ventures and 26 Associates (which along with State Bank of India, the parent, constitute the Group), considered in the preparation of the consolidated financial statements, are

A) Subsidiaries

Sr. No	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Group's Stake (%)
1)	State Bank of Bikaner & Jaipur	India	75.07
2)	State Bank of Hyderabad	India	100.00
3)	State Bank of Indore (upto 25.08.2010)	India	98.05
4)	State Bank of Mysore	India	92.33
5)	State Bank of Patiala	India	100.00
6)	State Bank of Travancore	India	75.01
7)	SBI Commercial & International Bank Ltd.	India	100.00
8)	SBI Capital Markets Ltd.	India	100.00
9)	SBICAP Securities Ltd.	India	100.00
10)	SBICAP Trustee Company Ltd.	India	100.00
11)	SBICAPS Ventures Ltd.	India	100.00
12)	SBI DFHI Ltd.	India	71.56
13)	SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt Ltd.	India	100.00
14)	SBI Global Factors Ltd.	India	86.82
15)	SBI Pension Funds Pvt Ltd.	India	98.15
16)	SBI -SG Global Securities Services Pvt. Ltd. @	India	65.00
17)	SBI General Insurance Company Ltd. @	India	74.00
18)	SBI Payment Services Pvt. Ltd.	India	100.00
19)	State Bank of India (Canada)	Canada	100.00
20)	State Bank of India (California)	USA	100.00
21)	SBI (Mauritius) Ltd.	Mauritius	93.40
22)	PT Bank SBI Indonesia	Indonesia	76.00
23)	SBICAP (UK) Ltd.	U.K.	100.00
24)	SBI Cards and Payment Services Pvt Ltd. @	India	60.00
25)	SBI Funds Management Pvt Ltd. @	India	63.00
26)	SBI Life Insurance Company Ltd. @	India	74.00
27)	Commercial Bank of India Llc, Moscow @	Russia	60.00
28)	Nepal SBI Bank Ltd.	Nepal	55.05
29)	SBI Funds Management (International) Private Ltd. @	Mauritius	63.00
30)	SBICAP (Singapore) Ltd.	Singapore	100.00

@ The financial statements of these jointly controlled entities have been consolidated as per AS 21 "Consolidated Financial Statements" consequent to the limited revision to AS 27 on "Financial Reporting of interests in joint ventures".

ख) संयुक्त उद्यम

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%)
1.	सी-एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	भारत	49.00
2.	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	40.00
3.	एसबीआई मैक्वाअरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	भारत	45.00
4.	एसबीआई मैक्वाअरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.	भारत	45.00
5.	मैक्वाअरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.	सिंगापुर	45.00
6.	मैक्वाअरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	बेरमुदा	45.00
7.	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00
8.	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि.	भारत	50.00

ग) सहयोगी:

क्र. सं.	सहयोगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%)
1.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00
2.	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	35.00
3.	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
4.	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00
5.	मेघालय रूरल बैंक	भारत	35.00
6.	कृष्णा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
7.	लांगपी देहांगी रूरल बैंक	भारत	35.00
8.	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
9.	मिजोरम रूरल बैंक	भारत	35.00
10.	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	35.00
11.	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
12.	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
13.	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
14.	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
15.	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
16.	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
17.	मारवाड़ गंगानगर बीकानेर ग्रामीण बैंक	भारत	26.27
18.	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00
19.	डेक्कन ग्रामीण बैंक	भारत	35.00

B) Joint Ventures

Sr. No	Name of the Joint Venture	Country of Incorporation	Group's Stake (%)
1)	C - Edge Technologies Ltd.	India	49.00
2)	GE Capital Business Process Management Services Pvt Ltd.	India	40.00
3)	SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.	India	45.00
4)	SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.	India	45.00
5)	Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.	Singapore	45.00
6)	Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.	Bermuda	45.00
7)	Oman India Joint Investment Fund – Trustee Company Pvt. Ltd.	India	50.00
8)	Oman India Joint Investment Fund – Management Company Pvt. Ltd.	India	50.00

C) Associates:

Sr. No	Name of the Associate	Country of Incorporation	Group's Stake (%)
1)	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	India	35.00
2)	Arunachal Pradesh Rural Bank	India	35.00
3)	Chhatisgarh Gramin Bank	India	35.00
4)	Ellaquai Dehati Bank	India	35.00
5)	Meghalaya Rural Bank	India	35.00
6)	Krishna Grameena Bank	India	35.00
7)	Langpi Dehangi Rural Bank	India	35.00
8)	Madhya Bharat Gramin Bank	India	35.00
9)	Mizoram Rural Bank	India	35.00
10)	Nagaland Rural Bank	India	35.00
11)	Parvatiya Gramin Bank	India	35.00
12)	Purvanchal Kshetriya Gramin Bank	India	35.00
13)	Samastipur Kshetriya Gramin Bank	India	35.00
14)	Utkal Gramya Bank	India	35.00
15)	Uttaranchal Gramin Bank	India	35.00
16)	Vananchal Gramin Bank	India	35.00
17)	Marwar Ganganagar Bikaner Gramin Bank	India	26.27
18)	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank	India	35.00
19)	Deccan Grameena Bank	India	35.00

20. कावेरी कल्पतरु ग्रामीणा बैंक	भारत	32.32	20) Cauvery Kalpatharu Grameena Bank	India	32.32
21. मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	21) Malwa Gramin Bank	India	35.00
22. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	22) Saurashtra Gramin Bank	India	35.00
23. दि क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	भारत	29.22	23) The Clearing Corporation of India Ltd.	India	29.22
24. बैंक आफ भूटान लि.	भूटान	20.00	24) Bank of Bhutan Ltd.	Bhutan	20.00
25. एस. एस. वेंचर्स सर्विसेज लि. (15.03.11 तक)	भारत	50.00	25) S.S. Ventures Services Ltd. (upto 15.03.11)	India	50.00
26. एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड	भारत	25.05	26) SBI Home Finance Ltd.	India	25.05

1.2 पिछले वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष के दौरान समेकन-प्रक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं;

- क. भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर अधिग्रहण आदेश, 2010 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के उपक्रम को दिनांक 26.08.2010 से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को अंतरित/निहित किया गया है।
- ख. एसबीआई ने एशियन विकास बैंक (एडीबी) और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक आफ इंडिया लि. (आईआईबीआई) से एसबीआई डीएफएचआई लि. में लगे हुए उनके क्रमशः 4.69% एवं 0.47% अंश का अधिग्रहण किया है। इसी प्रकार एसबीआई डीएफएचआई लि. ने अपने 25% प्रदत्त शेयरों के लिए पुनः खरीद प्रस्ताव दिया है और पुनः खरीद के बाद समूह का अंश 71.56% है।
- ग. एस. एस. वेंचर्स सर्विसेज लि. को दिनांक 01.04.2010 से 15.03.2011 तक की अवधि के लिए एसबीआई समूह की एक सहयोगी के रूप में शामिल किया गया है क्योंकि एसबीआई कैप्स वेंचर्स लि., जो एसबीआई की एक अपचायी (स्टेप डाउन) अनुषंगी है, ने दिनांक 15.03.2011 को अपना सम्पूर्ण अंश, अर्थात् 50% बेच दिया है।
- घ. पूर्ण स्वामित्ववाली अपचायी (स्टेप डाउन) अनुषंगी एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि., (एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. की अनुषंगी) को दिनांक 10.12.2010 को निगमित किया गया। हालांकि कंपनी ने 31.03.2011 तक अपना व्यवसाय शुरू नहीं किया है।
- ङ. भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए एक सामान्य निधि की स्थापना करने के उद्देश्य से एसबीआई ने सल्लतन ऑफ ओमान के सरकारी सामान्य आरक्षित निधि (एसजीआरएफ), जो उस देश की एक सरकारी निधि है, के साथ एक संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संयुक्त उद्यम करार के अंतर्गत दो कंपनियां निगमित की गई हैं, अर्थात्
- (1) ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड.
- (2) ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड.
- च. एसबीआई ने अपनी अनुषंगी एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. के राइट इश्यू में निवेश किया है और राइट इश्यू के बाद एसबीआई का अंश बढ़कर 86.82% तक हो गया।
- छ. एसबीआई कस्टोडियल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, जो एसबीआई की एक अनुषंगी है, का नाम दिनांक 5 अप्रैल 2010 से बदलकर एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लिमिटेड कर दिया गया।

1.2 The following changes have taken place during the year in the consolidation process as compared to the previous year 2009-10;

- a. Consequent to the notification of the "Acquisition of State Bank of Indore Order, 2010" issued by the Govt. of India, the undertaking of State Bank of Indore stands transferred to and vests in State Bank of India ("SBI"), from 26.08.2010, the effective date.
- b. SBI has acquired 4.69% & 0.47% stake in SBI DFHI Ltd. from Asian Development Bank (ADB) and Industrial Investment Bank of India Ltd. (IIBI) respectively. Also, SBI DFHI Ltd. has given buy back offer for 25% of its paid up shares and after buy back group's stake is 71.56%.
- c. S. S. Ventures Services Ltd. is considered as an associate of SBI group for the period 01.04.2010 to 15.03.2011 as SBICAPS Ventures Ltd, a step-down subsidiary of SBI has sold out its entire stake i.e. 50% on 15.03.2011.
- d. A wholly owned step-down subsidiary, SBICAP (Singapore) Ltd. (subsidiary of SBI Capital Markets Ltd.) was incorporated on 10.12.2010. However the company has not commenced its business till 31.03.2011.
- e. SBI has signed a joint venture agreement with State General Reserve Fund (SGRF) of the Sultanate of Oman, a Sovereign Fund of that country with an objective to set up a general fund to invest in various sectors in India. Under this JV agreements two companies have been incorporated namely,
- (i) Oman India Joint Investment Fund- Management Company Pvt. Limited
- (ii) Oman India Joint Investment Fund- Trustee Company Pvt. Limited
- f. SBI has invested the Right issue in its subsidiary, SBI Global Factors Ltd. and after right issue SBI's stake has gone up to 86.82%.
- g. The name of SBI Custodial Services Private Limited, a subsidiary of SBI has been changed to SBI-SG Global Securities Services Private Limited w.e.f. 5th April 2010.

- 1.3 एसबीआई होम फाइनेंस लि., जो एसबीआई की एक सहयोगी है, की समापन याचिका दिनांक 23 सितंबर 2008 को कोलकाता उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। माननीय न्यायालय ने कंपनी के समापन हेतु निर्देश देते हुए 31 मार्च 2009 को एक आदेश पारित किया है।
- 1.4 बैंक ऑफ भूटान लि., जो एसबीआई का सहयोगी है, पैंट बैंक से भिन्न लेखा वर्ष (ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष) का अनुपालन करता है। तदनुसार, इस सहयोगी के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर 2010 की स्थिति के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. शेयर पूंजी :

- 2.1 वर्ष के दौरान एसबीआई की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 1,000 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,000 करोड़ हो गई जो प्रति ₹ 10 के पाँच सौ करोड़ पूर्ण प्रदत्त शेयरों में विभाजित है।
- 2.2 वर्ष के दौरान एसबीआई ने एसबीआई राइट्स इश्यू 2008 के अंतर्गत रोककर रखे गए 85,856 शेयरों में से प्रति शेयर ₹ 10 नकद और ₹ 1,580/- के प्रीमियम के साथ कुल ₹ 27,68,190/- के 1741 ईक्विटी शेयर आबंटित किए। प्राप्त हुए ₹ 27,68,190/- के कुल अंशदान में से, ₹ 17,410/- शेयर पूंजी खाते और ₹ 27,50,780/- शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किए गए। इसके अतिरिक्त, प्रति ₹ 10/- के 1,14,606 शेयर पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के भारतीय स्टेट बैंक में विलय होने के बाद इसके शेयर धारकों को आबंटित किए गए और ₹ 11,46,060/- शेयर पूंजी खाते में अंतरित किए गए।
- 2.3 एसबीआई ने राइट्स इश्यू के एक भाग के रूप में जारी प्रति ₹ 10/- के 84,115 (पिछले वर्ष 85,856) ईक्विटी शेयरों का आबंटन रोककर रखा है, क्योंकि इनके हक विवाद या न्यायिक प्रक्रियाएँ चल रही हैं।

3. कर्मचारी - हितलाभ:

3.1.1 नियत हितलाभ योजनाएँ

निम्नतालिका में लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) की अपेक्षानुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना की स्थिति प्रदर्शित की गई है:

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2010 को प्रारंभिक नियत हितलाभ दायित्व वर्तमान सेवा लागत	27015.65	24008.71	5253.54	5068.06
ब्याज लागत	1216.08	1087.38	280.78	225.74
पिछली सेवा लागत (परिशोधित)	2281.45	1922.46	406.54	399.12
पिछली सेवा लागत (परिशोधित)	1241.58	निरंक	757.88	निरंक
पिछली सेवा लागत (आरक्षित निधि में निर्धारित किए गए निहित हित लाभ)	7927.41	निरंक	निरंक	निरंक
पिछली सेवा लागत (निहित हित लाभ)	2224.44	निरंक	783.14	निरंक
बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	1887.15	1537.30	826.28	(134.19)
प्रदत्त हितलाभ	(1184.08)	(1540.20)	(650.88)	(305.19)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(780.67)	निरंक	निरंक	निरंक
31 मार्च 2011 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	41829.01	27015.65	7657.28	5253.54

- 1.3 The winding up petition of SBI Home Finance Ltd., an associate of SBI, was filed with the Kolkata High Court on 23rd September 2008. The Hon'ble Court has passed an order on 31st March 2009 giving direction for winding up of the company.
- 1.4 Bank of Bhutan Ltd., an associate of SBI follows accounting year (Gregorian Calendar Year) different from that of the parent. Accordingly, the financial statements of the associate are made as of 31st December 2010.

2. Share capital:

- 2.1 During the year, the authorised share capital of SBI is increased from ₹ 1,000 crores to ₹ 5,000 crores divided into five hundred crores fully paid up shares of ₹ 10/- each.
- 2.2 During the year, SBI has allotted 1,741 equity shares of ₹ 10/- each for cash at a premium of ₹ 1,580/- per equity share aggregating to ₹ 27,68,190/- out of 85,856 shares kept in abeyance under Right Issue – 2008. Out of the total subscription of ₹ 27,68,190/- received, ₹ 17,410/- was transferred to Share Capital Account and ₹ 27,50,780/- to Share Premium Account. Further, 1,14,606 shares of ₹ 10/- each were allotted to the share holders of erstwhile State Bank of Indore upon its merger with State Bank of India and ₹ 11,46,060/- was transferred to Share Capital Account.
- 2.3 SBI has kept in abeyance the allotment of 84,115 (Previous Year 85,856) Equity Shares of ₹ 10/- each issued as a part of Rights Issue, since they are subject to title disputes or are subjudice.

3. Employee Benefits

3.1.1 Defined Benefit Plans

The following table sets out the status of the defined benefit Pension Plan and Gratuity Plan as required under AS 15 (Revised 2005).

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	CY	PY	CY	PY
Change in the present value of the defined benefit obligation				
Opening defined benefit obligation at 1st April 2010	27015.65	24008.71	5253.54	5068.06
Current Service Cost	1216.08	1087.38	280.78	225.74
Interest Cost	2281.45	1922.46	406.54	399.12
Past Service Cost (Amortised)	1241.58	Nil	757.88	Nil
Past Service Cost (Vested Benefit recognised in Reserves)	7927.41	Nil	Nil	Nil
Past Service Cost (Vested Benefit)	2224.44	Nil	783.14	Nil
Actuarial losses (gains)	1887.15	1537.30	826.28	(134.19)
Benefits paid	(1184.08)	(1540.20)	(650.88)	(305.19)
Direct Payment by Bank	(780.67)	Nil	Nil	Nil
Closing defined benefit obligation at 31st March 2011	41829.01	27015.65	7657.28	5253.54

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2010 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	19347.13	17366.99	5126.77	4880.36
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1552.50	1415.60	417.25	383.87
नियोजक का अंशदान	1815.59	1650.48	508.69	130.28
सदस्यों द्वारा अंशदान	599.25	निरंक	निरंक	निरंक
प्रदत्त हितलाभ	(1184.08)	(1540.20)	(650.80)	(305.19)
बीमाकिक लाभ / (हानि)	759.67	454.26	26.05	37.45
31 मार्च 2011 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	22890.06	19347.13	5427.96	5126.77
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2011 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	41829.01	27015.65	7657.28	5253.54
31 मार्च 2011 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	22890.06	19347.13	5427.96	5126.77
कमी/ (अधिशेष)	18938.95	7668.52	2229.32	126.77
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत इतिशेष	985.32	निरंक	628.78	निरंक
निवल देयता / (आस्ति)	17953.63	7668.52	1600.54	126.77
तुलनपत्र में ली गई राशि				
देयताएँ	41829.01	27015.65	7657.28	5253.54
आस्तियाँ	22890.06	19347.13	5427.96	5126.77
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता / (आस्ति)	18938.95	7668.52	2229.32	126.77
शामिल नहीं की गई पिछली सेवा लागत (निहित) अंतिम	985.32	निरंक	628.78	निरंक
निवल देयता / आस्ति	17953.63	7668.52	1600.54	126.77
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1216.08	1087.38	280.78	225.74
ब्याज लागत	2281.46	1922.46	406.54	399.12
योजना -आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(1552.50)	(1415.60)	(417.25)	(383.87)
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (परिशोधित)	381.00	निरंक	236.94	निरंक
शामिल की गई पिछली सेवा लागत (निहित हितलाभ)	193.75	निरंक	675.22	निरंक
तिमाही के दौरान शामिल निवल बीमाकिक हानियाँ (लाभ)	1127.47	1083.04	800.23	(171.64)
नियत हितलाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' में शामिल की गई है.	3647.26	2677.28	1982.46	69.35
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1552.50	1415.60	417.25	383.87

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	CY	PY	CY	PY
Change in Plan Assets				
Opening fair value of plan assets at 1 st April 2010	19347.13	17366.99	5126.77	4880.36
Expected Return on Plan assets	1552.50	1415.60	417.25	383.87
Contributions by employer	1815.59	1650.48	508.69	130.28
Contribution from members	599.25	Nil	Nil	Nil
Benefits Paid	(1184.08)	(1540.20)	(650.80)	(305.19)
Actuarial Gains / (Losses)	759.67	454.26	26.05	37.45
Closing fair value of plan assets at 31 st March 2011	22890.06	19347.13	5427.96	5126.77
Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets				
Present Value of Funded obligation at 31 st March 2011	41829.01	27015.65	7657.28	5253.54
Fair Value of Plan assets at 31 st March 2011	22890.06	19347.13	5427.96	5126.77
Deficit/(Surplus)	18938.95	7668.52	2229.32	126.77
Unrecognised Past Service Cost (Vested) Closing Balance	985.32	Nil	628.78	Nil
Net Liability/(Asset)	17953.63	7668.52	1600.54	126.77
Amount Recognised in the Balance Sheet				
Liabilities	41829.01	27015.65	7657.28	5253.54
Assets	22890.06	19347.13	5427.96	5126.77
Net Liability / (Asset) recognised in Balance Sheet	18938.95	7668.52	2229.32	126.77
Unrecognised Past Service Cost (Vested) Closing Balance	985.32	Nil	628.78	Nil
Net Liability/ (Asset)	17953.63	7668.52	1600.54	126.77
Net Cost recognised in the profit and loss account				
Current Service Cost	1216.08	1087.38	280.78	225.74
Interest Cost	2281.46	1922.46	406.54	399.12
Expected return on plan assets	(1552.50)	(1415.60)	(417.25)	(383.87)
Past Service Cost (Amortised) Recognised	381.00	Nil	236.94	Nil
Past Service Cost (Vested Benefits) Recognised	193.75	Nil	675.22	Nil
Net actuarial losses (Gain) recognised during the year	1127.47	1083.04	800.23	(171.64)
Total costs of defined benefit plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for employees"	3647.26	2677.28	1982.46	69.35
Reconciliation of expected return and actual return on Plan Assets				
Expected Return on Plan Assets	1552.50	1415.60	417.25	383.87

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	759.67	454.26	26.05	37.45
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	2312.17	1869.86	443.30	421.32
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता / (आस्ति) के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2010 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	7668.52	6641.72	126.77	187.70
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	3647.26	2677.28	1982.46	69.35
अन्य प्रावधान को नामे	1306.70	निरंक	निरंक	निरंक
आरक्षित निधि में शामिल किए गए	7927.41	निरंक	निरंक	निरंक
नियोक्ताओं का अंशदान	2596.26	1650.48	508.69	130.28
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	17953.63	7668.52	1600.54	126.77

31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए विनिधान निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	24.05	43.54
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	11.11	2.47
सार्वजनिक क्षेत्र और कारपोरेट बांड	23.47	27.44
बैंक में एफडीआर / टीडीआर	5.28	1.02
बैंक की जमाराशियाँ	2.48	5.34
अन्य	33.61	20.19
योग	100.00	100.00

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन :

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8% से 8.50%	7% से 8.50%	8% से 8.50%	7% से 8.50%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.50% से 8%	7.50% से 8%	7.50% से 8%	7.50% से 8%
वेतन वृद्धि	2% से 6%	4% से 6%	2% से 6%	4% से 6%

भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, जिसका बीमांकिक मूल्यांकन घटकों में किया गया है, मुद्रास्फीति वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा नियोजन - बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार के अनुमान अत्यंत दीर्घ अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव /सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि अत्यंत दीर्घ

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	CY	PY	CY	PY
Actuarial Gain/ (loss) on Plan Assets	759.67	454.26	26.05	37.45
Actual Return on Plan Assets	2312.17	1869.86	443.30	421.32
Reconciliation of opening and closing net liability/ (asset) recognised in Balance Sheet				
Opening Net Liability as at 1 st April 2010	7668.52	6641.72	126.77	187.70
Expenses as recognised in profit and loss account	3647.26	2677.28	1982.46	69.35
Debited to Other Provision	1306.70	Nil	Nil	Nil
Recognised in Reserve	7927.41	Nil	Nil	Nil
Employers Contribution	2596.26	1650.48	508.69	130.28
Net liability/(Asset) recognised in Balance Sheet	17953.63	7668.52	1600.54	126.77

Investments under Plan Assets of Gratuity Fund & Pension Fund as on 31st March 2011 are as follows:

Category of Assets	Pension Fund	Gratuity Fund
	% of Plan Assets	% of Plan Assets
Central Govt. Securities	24.05	43.54
State Govt. Securities	11.11	2.47
Public Sector & Corporate Bonds	23.47	27.44
FDR / TDR with Bank	5.28	1.02
Bank Deposits	2.48	5.34
Others	33.61	20.19
Total	100%	100%

Principal actuarial assumptions;

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	CY	PY	CY	PY
Discount Rate	8% to 8.50%	7% to 8.50%	8% to 8.50%	7% to 8.50%
Expected Rate of return on Plan Asset	7.50% to 8%	7.50% to 8%	7.50% to 8%	7.50% to 8%
Salary Escalation	2% to 6%	4% to 6%	2% to 6%	4% to 6%

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future.

अवधि के दौरान - सतत उच्च वेतनवृद्धि करते रहना संभव नहीं है जिस पर लेखा-परीक्षकों ने भरोसा किया है।

3.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक बोर्ड द्वारा संशोधित लेखा मानक-15 (वर्ष 2005 में संशोधित) के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, समूह द्वारा स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि नियत लाभ योजना की परिधि में आएगा क्योंकि बैंक को निर्धारित न्यूनतम प्रतिलाभ दर को प्राप्त करना है। वर्ष के अंत में ऐसी कोई कमी नहीं बची थी जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया हो। तदनुसार, भविष्य निधि के संबंध में अन्य संबंधित प्रकटीकरणों का उल्लेख नहीं किया गया है। ₹ 931.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 420.19 करोड़) की राशि को लाभ और हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत शामिल बैंक की भविष्य निधि योजना पर किए गए व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

3.1.3 नियत अंशदान

भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना में ₹ 11.75 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का अंशदान किया और देशीय बैंकिंग अनुषंगियों (इनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर शामिल हैं) ने दिनांक 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए नियत अंशदायी पेंशन योजना में ₹ 1.53 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का अंशदान किया।

3.1.4 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के संबंध में ₹ 933.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 233.54 करोड़) का प्रावधान किया गया है और उसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान' शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभ योजना के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण :

क्रम सं.	दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण के साथ अर्जित अवकाश का नकदीकरण	694.18	162.78
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण / उपयोग)	72.29	39.48
3	रुग्ण अवकाश	81.73	23.22
4	रजत जंयती अवार्ड	35.16	3.38
5	अधिवर्षिता पर पुनर्निपटान व्यय	(8.55)	(6.95)
6	आकस्मिक अवकाश	13.73	5.65
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	44.55	5.98
	योग	933.09	233.54

Empirical evidence also suggests that in the very long term, consistent high salary growth rates are not possible, which has been relied upon by the auditors.

3.1.2 Employees Provident Fund

In terms of the guidance on implementing the AS-15 (Revised 2005) "Employees Benefits" issued by the ICAI, the Employees Provident Fund set up by the group is treated as a defined benefit plan since the group has to meet the specified minimum rate of return. As at the year end, no shortfall remains unprovided for. Accordingly, other related disclosures in respect of Provident Fund have not been made and an amount of ₹ 931.70 crores (Previous Year ₹ 420.19 crores) is recognised as an expense towards the Provident Fund scheme of the group included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss Account.

3.1.3 Defined Contributions

SBI has contributed ₹ 11.75 crores (previous year Nil) to the New Pension Scheme for all officers/employees joining the Bank on or after 1st August 2010 and Domestic Banking Subsidiaries (comprising State Bank of Bikaner & Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala and State Bank of Travancore) has contributed ₹ 1.53 crores (previous year Nil) to the Defined Contributory Pension Scheme for employees joining on or after 1st April 2010.

3.1.4 Other Long term Employee Benefits

Amount of ₹ 933.09 crores (Previous Year ₹ 233.54 crores) is provided towards Long term Employee Benefits and is included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss account.

Details of Provisions made for various long Term Employees' Benefits during the year:

Sl. No.	Long Term Employees' Benefits	Current Year	Previous Year
1	Privilege Leave (Encashment) incl. leave encashment at the time of retirement	694.18	162.78
2	Leave Travel and Home Travel Concession (Encashment/Availment)	72.29	39.48
3	Sick Leave	81.73	23.22
4	Silver Jubilee Award	35.16	3.38
5	Resettlement Expenses on Superannuation	(8.55)	(6.95)
6	Casual Leave	13.73	5.65
7	Retirement Award	44.55	5.98
	Total	933.09	233.54

3.1.5 पेंशन एवं ग्रेच्युटी

(क) एसबीआई की पेंशन योजना

नौवें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन में किए गए संशोधन और एसबीआई पेंशन निधि नियमों में प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एसबीआई की पेंशन देयता राशि, जिसे स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा निर्धारित किया गया है, ₹ 11,707 करोड़ रही। ₹ 1,306.70 करोड़ के विद्यमान प्रावधान पर विचार करने के बाद, पूर्ववर्ती वर्षों की ₹ 7,927.41 करोड़ की देयताओं से संबंधित अतिरिक्त पेंशन लागत को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पत्र सं. डीबीओडी/बीपी/क्र./16165/21.04.018/2010-11 के अनुसार बैंक को दी गई अनुमति के अनुसार आरक्षित निधि खाते में से खर्च के रूप में दिखाया गया है। उक्त राशि का सांविधिक आरक्षित निधि से समायोजन करने की अनुमति बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से मांगी है, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस वर्ष की पेंशन लागत ₹ 2,473.00 करोड़ रही जिसे लाभ एवं हानि खाते में खर्च के रूप में शामिल किया गया है।

(ख) एसबीआई के लिए ग्रेच्युटी

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार देय ग्रेच्युटी की सीमा में बढ़ोतरी होने और नौवें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप, एसबीआई की ग्रेच्युटी देयता राशि जिसे 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा निर्धारित किया गया है, ₹ 1,965 करोड़ रही। इस वर्ष के लिए वृद्धिशील देयता और वेतन में संशोधन के परिणामस्वरूप देयता में वृद्धि की राशि ₹ 865 करोड़ और ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि होने के कारण ₹ 700 करोड़ रही, जिसे लाभ एवं हानि खाते में खर्च के रूप में दिखाया गया है। ₹ 400 करोड़ की शेष राशि, जिसे वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में अभी शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं की गई है और इसे भा.रि. बैंक परिपत्र क्रमांक डीबीओडी / बीपी / बीसी / 80 / 21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 के अनुसार अगले चार वर्षों में परिशोधित किया जाएगा।

(ग) देशीय बैंकिंग अनुषंगियों (डीबीएस) के लिए पेंशन एवं ग्रेच्युटी

वर्ष के दौरान डीबीएस ने अपने उन कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प को फिर से खोल दिया है जिन्होंने पूर्ववर्ती पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं दिया था। इसके परिणामस्वरूप, डीबीएस ने ₹ 1,801.80 करोड़ की देयता वहन की। इसके अतिरिक्त, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में संशोधन होने से डीबीएस ने अपने कर्मचारियों को देय होनेवाली ग्रेच्युटी की सीमा को भी बढ़ाया है। परिणामस्वरूप, डीबीएस की ग्रेच्युटी देयता बढ़कर ₹ 559.16 करोड़ हो गई। एस15 “कर्मचारी हितलाभ” की अपेक्षाओं के अनुसार, ₹ 2,360.96 करोड़ की सम्पूर्ण राशि (अर्थात् ₹ 1,801.80 करोड़ + ₹ 559.16 करोड़)

3.1.5 Pension and Gratuity

(a) Pension Scheme of SBI

Consequent to revision in wages in accordance with the Ninth Bipartite Settlement and the proposed amendment to the SBI Pension Fund Rules, the Pension liability of the SBI for the year ended March 31, 2011 as determined by the independent actuary amounted to ₹ 11,707 crores. After considering the existing provision of ₹ 1,306.70 crores, the additional pension cost in respect of the liabilities of the earlier years amounting to ₹ 7,927.41 crores has been charged to Reserves in accordance with the dispensation granted by Reserve Bank of India to the Bank vide the letter number DBOD/BP/No./16165/21.04.018/2010-11. SBI has sought an approval of the above amount against the statutory reserves from RBI, which is still awaited. The pension cost for the year amounting to ₹ 2,473.00 crores has been charged to the Profit and Loss Account.

(b) Gratuity for SBI

Consequent to the enhancement in limit of gratuity payable under the Payment of Gratuity Act, 1972 and revision in wages in accordance with the Ninth Bipartite Settlement, the cost on account of Gratuity liability of SBI as determined by the independent actuary for the year ended March 31, 2011 amounted to ₹ 1,965 crores. The incremental liability for the year and the increase in liability consequent to revision in wages amounting to ₹ 865 crores and an amount of ₹ 700 crores on account of enhancement in the limit of gratuity, has been charged to the Profit and Loss account. The balance amount of ₹ 400 crores, not already charged to Profit and Loss account during the year, has not been recognised and will be amortised over the next four years in accordance with RBI circular no. DBOD.BP.BC.80 /21.04.018/2010-11 dated 9th February 2011.

(c) Pension and Gratuity for Domestic banking subsidiaries (DBS)

During the year, DBS have reopened the pension option for its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of this, the DBS has incurred a liability of ₹ 1,801.80 crores. Further, the limit of gratuity payable to its employees was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result the gratuity liability of DBS has increased by ₹ 559.16 crores. In terms of the requirements of the AS 15, “Employee Benefits”, the entire amount of ₹ 2,360.96 crores (i.e. ₹ 1,801.80 crores + ₹ 559.16 crores) is required to be charged to profit and loss account.

को लाभ एवं हानि खाते में खर्च के रूप में दिखाया जाना है। तथापि, सरकारी क्षेत्र बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प को फिर से खोलने और ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र क्रमांक डीबीओडी/बीपी/बीसी/80/21.04.018/2010-11-विवेकीय विनियामक उपाय दिनांक 09.02.2011 को जारी किया है। उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार डीबीएस ₹ 2,360.96 करोड़ की राशि का परिशोधन पांच वर्षों की अवधि में करेगी। तदनुसार ₹ 475.72 करोड़ (बढ़ी हुई देयता का पांचवाँ भाग) लाभ एवं हानि खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं और ₹ 1,885.24 करोड़ की शेष राशि अगले चार वर्षों के लिए आस्थगित की गई है तथा इसमें अलग हुए/सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से संबंधित कोई राशि शामिल नहीं है।

- (घ) एएस-15-कर्मचारी हितलाभ की अपेक्षाओं के अनुसार उपर्युक्त (क) में उल्लिखित पेंशन देयता की राशि ₹ 10,400.30 करोड़, उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित ग्रेच्युटी देयता की राशि ₹ 1,965.00 करोड़ और उपर्युक्त (ग) में देशीय बैंकिंग अनुषंगियों की पेंशन/ग्रेच्युटी देयता की राशि ₹ 2,360.96 करोड़ को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाना है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक उक्त परिपत्र जारी नहीं करता और पेंशन देयता को आरक्षित खाते में शामिल करने की भारतीय रिजर्व बैंक अनुमति नहीं देता, तो एएस15 की अपेक्षा को लागू करने पर समूह के लाभ में ₹ 10,212.65 करोड़ की कमी आई होती।

3.2 खंड सूचना

3.2.1 खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नांकित खंडों का अभिनिर्धारण/पुनर्वर्गीकरण प्राथमिक खंडों के रूप में किया है।

- कोष
- कारपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- बीमा व्यवसाय
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना पद्धति में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उनमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल - खंडों के आंकड़ों की निम्नवत गणना की गई है:

क) कोष: कोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं। कोष खंड की आय मूलतः व्यापार - परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ / हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो की ब्याज आय पर आधारित है।

ख) कारपोरेट / थोक बैंकिंग: कारपोरेट / थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण - गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इनके द्वारा

However, the RBI has issued a Circular No. DBOD.BP.BC.80 / 21.04.018 / 2010-11) on Re-opening of pension option to employees of Public sector banks and enhancement in gratuity limits- Prudential Regulatory Treatment dated 09.02.2011. In accordance of the provisions of the said Circular, the DBS would amortise the amount of ₹ 2,360.96 crores over a period of five years. Accordingly, ₹ 475.72 crores (representing one-fifth of increased liability) has been charged to Profit and Loss Account and the balance amount of ₹ 1,885.24 crores is deferred for next four years and does not include any employees relating to separated / retired employees.

- (d) As per the requirements of AS 15 – Employee Benefits, the pension liability stated in (a) above amounting to ₹ 10,400.30 crores, the gratuity liability of ₹ 1,965 crores in (b) above and the Pension / Gratuity liability of Domestic Banking Subsidiaries of ₹ 2,360.96 crores in (c) above is required to be charged to Profit and Loss account.

Had the said Circular not been issued by RBI and this dispensation for charging the Pension liability to Reserves not allowed by RBI, the profit of the group would have been lower by ₹ 10,212.65 crores pursuant to the application of requirements of AS 15.

3.2 Segment Reporting

3.2.1 Segment Identification

A) Primary (Business Segment)

The following are the Primary Segments of the Group:

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Insurance Business
- Other Banking Business

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the Primary Segments have been computed as under:

a) Treasury: The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

b) Corporate / Wholesale Banking: The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Mid Corporate Accounts Group and Stressed Assets Management Group. These include providing loans and transaction services to

कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों/इकाइयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग: खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं। इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं।

घ) बीमा व्यवसाय: बीमा व्यवसाय खण्ड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. के परिणाम शामिल हैं।

ङ) अन्य बैंकिंग व्यवसाय: ऐसे खण्ड जो उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत प्राथमिक खण्ड के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें इस प्राथमिक खण्ड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस खण्ड में समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

ख) गौण (भौगोलिक खंड):

- देशी परिचालन के अंतर्गत - भारत में परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम कार्यालय आते हैं।
- विदेशी परिचालन के अंतर्गत - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ, अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ आती हैं।

ग) व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन:

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/ थोक और रिटेल बैंकिंग परिचालन खंड अथवा कोष परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं। सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आबंटित किए गए हैं।

3.2.2 खंड रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई लेखा नीतियां निम्नलिखित अतिरिक्त पक्षों के साथ वही हैं जो पैरेंट के वित्तीय विवरण को रिपोर्ट करने के लिए अपनाई गई हैं:

- 1) गैर-बैंकिंग परिचालन खंडों और अन्य खंडों के बीच अंतर खंड लेनदेन का मूल्य निर्धारण बाजार आधार पर किया गया है। कोष और अन्य बैंकिंग व्यवसाय के बीच लेनदेन के संबंध में निधियों के उपयोग के लिए क्षतिपूर्ति की राशि की गणना ऋण खंड द्वारा वहन किए गए ब्याज और अन्य लागतों के आधार पर की गई है।
- 2) खंडों की आय और व्यय को खंड की परिचालन गतिविधि से संबंध के आधार पर शामिल किया गया है।
- 3) समग्र उद्यम से संबंधित ऐसी आय और व्यय जिन्हें किसी खंड को आबंटित करने का तार्किक आधार नहीं है उन्हें “अनाबंटित व्यय” के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है।

corporate and institutional clients and further include non treasury operations of foreign offices/entities.

c) Retail Banking: The Retail Banking Segment comprises of branches in National Banking Group, which primarily includes personal Banking activities including lending activities to corporate customers having Banking relations with branches in the National Banking Group. This segment also includes agency business and ATMs

d) Insurance Business – The Insurance Business Segment comprises of the results of SBI Life Insurance Co. Ltd. and SBI General Insurance Co. Ltd.

e) Other Banking business – Segments not classified under (a) to (d) above are classified under this primary segment. This segment also includes the operations of all the Non-Banking Subsidiaries/Joint Ventures other than SBI Life Insurance Co. Ltd. and SBI General Insurance Co. Ltd. of the group.

B) Secondary (Geographical Segment):

i) Domestic operations – Branches, Subsidiaries and Joint Ventures having operations in India.

ii) Foreign operations - Branches, Subsidiaries and Joint Ventures having operations outside India and offshore banking units having operations in India.

C) Allocation of Expenses, Assets and liabilities

Expenses of parent incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of number of employees in each segment/ratio of directly attributable expenses.

3.2.2 The accounting policies adopted for segment reporting are in line with the accounting policies adopted in the parent's financial statements with the following additional features:

- 1) Pricing of inter-segment transactions between the Non Banking Operations segment and other segments are market led. In respect of transactions between treasury and other banking business, compensation for the use of funds is reckoned based on interest and other costs incurred by the lending segment.
- 2) Revenue and expenses have been identified to segments based on their relationship to the operating activities of the segment.
- 3) Revenue and expenses, which relate to the enterprise as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis, have been included under “Unallocated Expenses”.

3.2.3 खंडवार सूचना 3.2.3 SEGMENT INFORMATION

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय) खंड PART A: PRIMARY (BUSINESS) SEGMENTS:

व्यवसाय खण्ड Business Segment	कोष परिचालन Treasury	कारपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	बीमा व्यवसाय Insurance Business	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	परित्याग Elimination	योग TOTAL
आय Revenue	25019.96 (30621.88)	45337.75 (39847.90)	58612.55 (44757.02)	16016.57 (16120.65)	2857.09 (2401.99)	— (—)	147843.92 (133749.44)
परिणाम Result	-1404.68 (4408.86)	8240.18 (7762.42)	15547.80 (9021.20)	330.39 (272.78)	791.53 (-76.75)	— (—)	23505.22 (21388.51)
अनाबंटित (आय) Unallocated (Income)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (102.39)
अनाबंटित (व्यय) Unallocated (Expenses)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	3585.46 (2808.87)
परिचालन लाभ (पीबीटी) Operating Profit (PBT)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	19919.76 (18682.03)
कर Taxes	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	8739.82 (6668.38)
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
निवल लाभ Net Profit	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	11179.94 (12013.65)
अन्य सूचनाएं: Other Information:							
खंड अस्तियाँ Segment Assets	416212.50 (420007.04)	535879.58 (449429.89)	637695.87 (535117.22)	39722.33 (27985.44)	7354.53 (8420.28)	— (—)	1636864.81 (1440959.87)
अनाबंटित अस्तियाँ Unallocated Assets	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	11033.44 (9184.10)
कुल अस्तियाँ Total Assets	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	1647898.25 (1450143.97)
खंड देयताएँ Segment Liabilities	202393.63 (181831.11)	496020.54 (440814.86)	766973.70 (664634.16)	37517.06 (26080.52)	4477.68 (5458.20)	— (—)	1507382.61 (1318818.85)
अनाबंटित देयताएँ Unallocated Liabilities	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	57044.39 (48189.54)
कुल देयताएँ Total Liabilities	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	1564427.00 (1367008.39)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक) खण्ड PART B : SECONDARY (GEOGRAPHIC) SEGMENTS:

विवरण Particulars	देशी परिचालन Domestic Operations	विदेशी परिचालन Foreign Operations	योग Total
आय Revenue	1,40,649.70 (1,28,347.46)	7,194.22 (5,504.37)	1,47,843.92 (1,33,851.83)
आस्तियाँ Assets	14,88,178.32 (13,11,718.84)	1,59,719.93 (1,38,425.13)	16,47,898.25 (14,50,143.97)

i) आय/व्यय पूरे वर्ष हेतु है। आस्तियों/देयताओं का विवरण दिनांक 31 मार्च 2011 को है।

ii) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

i) Income/Expenses are for the whole year. Assets/Liabilities are as at 31st March 2011.

ii) Figures within brackets are for previous year.

3.3 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण :**3.3.1 समूह से संबंधित पक्ष:****क) संयुक्त उद्यम:**

1. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
2. सी एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड.
3. एसबीआई मैक्वाअरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
4. एसबीआई मैक्वाअरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा.लि.
5. मैक्वाअरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा.लि.
6. मैक्वाअरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमन्ट फंड - प्रबंधन कम्पनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमन्ट फंड - ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.

ख) सहयोगी:**i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक
4. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक
5. डेक्कन ग्रामीण बैंक
6. इलाकाई देहाती बैंक
7. मेघालय रूरल बैंक
8. कृष्णा ग्रामीण बैंक
9. लंगपी देहांगी रूरल बैंक
10. मध्य भारत ग्रामीण बैंक
11. मालवा ग्रामीण बैंक
12. मारवाड़ गंगानगर बीकानेर बैंक
13. मिजोरम रूरल बैंक
14. नागालैंड रूरल बैंक
15. पर्वतीय ग्रामीण बैंक
16. पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
18. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
19. उत्कल ग्राम्य बैंक
20. उत्तरांचल ग्रामीण बैंक
21. वनांचल ग्रामीण बैंक
22. विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

23. दि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
24. बैंक आफ भूटान लि.
25. एस. एस. वैचर्स सर्विसेज प्रा. लि. (15.03.2011 तक)
26. एस बी आई होम फाइनेंस लि.

ग) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

1. श्री ओ. पी. भट्ट, अध्यक्ष (31.03.2011 तक)
2. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक (31.10.2010 तक)
3. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक

3.3 Related Party Disclosures:**3.3.1 Related Parties to the Group:****A) JOINT VENTURES:**

1. GE Capital Business Process Management Services Private Limited.
2. C - Edge Technologies Ltd.
3. SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.
4. SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.
5. Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.
6. Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.
7. Oman India Joint Investment Fund – Management Company Pvt. Ltd.
8. Oman India Joint Investment Fund – Trustee Company Pvt. Ltd.

B) ASSOCIATES:**i) Regional Rural Banks**

1. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank
2. Arunachal Pradesh Rural Bank
3. Cauvery Kalpatharu Grameena Bank
4. Chhatisgarh Gramin Bank
5. Deccan Grameena Bank
6. Ellaquai Dehati Bank
7. Meghalaya Rural Bank
8. Krishna Grameena Bank
9. Langpi Dehangi Rural Bank
10. Madhya Bharat Gramin Bank
11. Malwa Gramin Bank
12. Marwar Ganganagar Bikaner Bank
13. Mizoram Rural Bank
14. Nagaland Rural Bank
15. Parvatiya Gramin Bank
16. Purvanchal Kshetriya Gramin Bank
17. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
18. Saurashtra Gramin Bank
19. Utkal Gramya Bank
20. Uttaranchal Gramin Bank
21. Vananchal Gramin Bank
22. Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank

ii) Others

23. The Clearing Corporation of India Ltd.
24. Bank of Bhutan Ltd.
25. S. S. Ventures Services Pvt. Ltd. (upto 15.03.2011)
26. SBI Home Finance Ltd.

C) Key Management Personnel of the Bank:

1. Shri O. P. Bhatt, Chairman (upto 31.03.2011)
2. Shri S. K. Bhattacharyya, Managing Director (upto 31.10.2010)
3. Shri R. Sridharan, Managing Director

3.3.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेनदेन किए गए:

लेखा मानक (एसएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के रूप में संबंधित पक्षों के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेन का प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। अन्य विवरण निम्नानुसार हैं :

1. सी-एज टेकनोलॉजीस लि.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.
3. एसबीआई मैक्वाअरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. एसबीआई मैक्वाअरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
5. मैक्वाअरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.
6. मैक्वाअरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - प्रबंधन कम्पनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कम्पनी प्रा. लि.
9. बैंक ऑफ भूटान लि.
10. एस. एस. वैचर्स सर्विसेज लि. (15.03.2011 तक)
11. एस बी आई होम फाइनेंस लि.
12. श्री ओ. पी. भट्ट, अध्यक्ष (31.03.2011 तक)
13. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक (31.10.2010 तक)
14. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक

3.3.3. लेनदेन और शेष राशियाँ:

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके संबंधी	योग
जमा-राशियाँ #	52.09 (112.99)	0.04 (—)	52.13 (112.99)
अन्य देयताएँ #	10.62 (21.94)	— (—)	10.62 (21.94)
विनिधान #	42.91 (26.94)	— (—)	42.91 (26.94)
अग्रिम #	— (—)	— (—)	— (—)
संदत ब्याज \$	— (4.00)	— (—)	— (4.00)
प्राप्त ब्याज \$	— (—)	— (—)	— (—)
लाभांश के रूप में अर्जित आय \$	2.80 (5.96)	— (—)	2.80 (5.96)
अन्य आय \$	— (0.05)	— (—)	— (0.05)
अन्य व्यय \$	150.34 (144.48)	— (—)	150.34 (144.48)
प्रबंध संविदाएँ \$	142.33 (146.83)	0.60 (0.63)	142.93 (147.46)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

31 मार्च की स्थिति के अनुसार शेष

\$ वर्ष के लेनदेन

3.3.2 Related Parties with whom transactions were entered into during the year:

No disclosure is required in respect of related parties, which are "state controlled enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel. Other particulars are as under:

1. C - Edge Technologies Ltd.
2. GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.
3. SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.
4. SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.
5. Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.
6. Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.
7. Oman India Joint Investment Fund – Management Company Pvt. Ltd.
8. Oman India Joint Investment Fund – Trustee Company Pvt. Ltd.
9. Bank of Bhutan Ltd.
10. S. S. Ventures Services Ltd. (upto 15.03.2011)
11. SBI Home Finance Ltd.
12. Shri O. P. Bhatt, Chairman (upto 31.03.2011)
13. Shri S. K. Bhattacharyya, Managing Director (upto 31.10.2010)
14. Shri R.Sridharan, Managing Director

3.3.3 Transactions and Balances:

Particulars	Associates/ Joint Ventures	Key Man- agement Personnel & their relatives	Total
Deposit#	52.09 (112.99)	0.04 (—)	52.13 (112.99)
Other Liabilities#	10.62 (21.94)	— (—)	10.62 (21.94)
Investments#	42.91 (26.94)	— (—)	42.91 (26.94)
Advances #	— (—)	— (—)	— (—)
Interest paid \$	— (4.00)	— (—)	— (4.00)
Interest received \$	— (—)	— (—)	— (—)
Income earned by way of Dividend \$	2.80 (5.96)	— (—)	2.80 (5.96)
Other Income \$	— (0.05)	— (—)	— (0.05)
Other Expenditure \$	150.34 (144.48)	— (—)	150.34 (144.48)
Management Contract \$	142.33 (146.83)	0.60 (0.63)	142.93 (147.46)

(Figures in brackets pertain to previous year)

Balances as at 31st March

\$ Transactions for the year

3.4 पट्टे :**वित्तीय पट्टे**

1 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टों पर दी गई आस्तियाँ : इन वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे दिया गया है।

विवरण	चालू वर्ष
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया	
1 वर्ष से कम	0.43
1 से 5 वर्ष	0.73
5 वर्ष और उससे अधिक	—
कुल	1.16
देय ब्याज लागत	
1 वर्ष से कम	0.11
1 से 5 वर्ष	0.10
5 वर्ष और उससे अधिक	—
कुल	0.21
देय न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान राशि	
1 वर्ष से कम	0.32
1 से 5 वर्ष	0.63
5 वर्ष और उससे अधिक	—
कुल	0.95

परिचालन पट्टा *

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों के विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 वर्ष तक	126.64	73.67
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	298.43	170.38
5 वर्ष से अधिक	63.62	51.12
कुल	488.69	295.17
इस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि	145.85	78.25

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं जो समूह इकाइयों के विकल्प के अनुसार नवीकरण योग्य हैं।

* केवल रद्द नहीं होनेवाले पट्टों के संबंध में

3.5 प्रति शेयर उपार्जन:

बैंक ने लेखा मानक 20 - 'प्रति शेयर उपार्जन' के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर पश्चात् निवल लाभ अल्पांश को छोड़कर बकाया इक्विटी शेयरों की

3.4 Leases:**Finance Leases**

Assets taken on Financial Leases on or after 1st April 2001: The details of financial leases are given below:

Particulars	Current Year
Total Minimum lease payments outstanding	
Less than 1 year	0.43
1 to 5 years	0.73
5 years and above	—
Total	1.16
Interest Cost payable	
Less than 1 year	0.11
1 to 5 years	0.10
5 years and above	—
Total	0.21
Present value of minimum lease payments payable	
Less than 1 year	0.32
1 to 5 years	0.63
5 years and above	—
Total	0.95

Operating Lease*

Premises taken on operating lease are given below:

Particulars	Current Year	Previous Year
Not later than 1 year	126.64	73.67
Later than 1 year and not later than 5 years	298.43	170.38
Later than 5 years	63.62	51.12
Total	488.69	295.17
Amount of lease payments recognised in the P&L Account for the year.	145.85	78.25

Operating leases primarily comprise office premises and staff residences, which are renewable at the option of the group entities.

* In respect of Non-Cancellable leases only.

3.5 Earnings per Share:

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing consolidated net profit after tax

भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर 'मूल आय' की गणना की गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
मूल प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की सं.	63,49,52,049	63,48,80,626
कम की गई प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	63,49,52,049	63,48,80,626
निवल लाभ (अल्पांश को छोड़कर) (करोड़ में)	10684.95	11733.83
प्रति शेयर मूल आय (₹)	168.28	184.82
कम की गई प्रति शेयर आय (₹)	168.28	184.82
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10.00	10.00

3.6 आय पर करों का लेखाकरण

- वर्ष के दौरान, आस्थगित कर समायोजन के द्वारा ₹ 1398.06 करोड़ [पिछले वर्ष ₹ 1315.71 करोड़ जमा किए गए थे] लाभ और हानि खाते में नामे किए गए।
- प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्ति और देयता का मदवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

विवरण	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	118.35	310.73
छोड़ने के विकल्प का उपयोग करने पर अनुग्रह राशि का भुगतान	9.41	52.57
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	308.43	1837.31
दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	1943.24	1462.44
अन्य	552.11	846.56
योग	2931.54	4509.61
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	31.73	32.46
प्रतिभूतियों पर ब्याज	1034.68	611.65
अन्य	427.60	431.92
योग	1494.01	1076.03
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ/ (देयताएँ)	1437.53	3433.58

(other than minority) by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Particulars	Current Year	Previous Year
Basic and diluted		
Weighted average number of equity shares used in computing basic earning per share	63,49,52,049	63,48,80,626
Weighted average number of shares used in computing diluted earning per share	63,49,52,049	63,48,80,626
Net profit (Other than minority) (in crores)	10684.95	11733.83
Basic earnings per share (₹)	168.28	184.82
Diluted earnings per share (₹)	168.28	184.82
Nominal value per share (₹)	10.00	10.00

3.6 Accounting for taxes on Income:

- During the year, ₹ 1398.06 crores has been debited [Previous Year, ₹ 1315.71 crores had been credited] to Profit and Loss Account by way of adjustment of deferred tax.
- The break up of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

Particulars	As at 31-Mar 2011	As at 31-Mar 2010
Deferred Tax Assets		
Provision for non performing assets	118.35	310.73
Ex-gratia paid under Exit option	9.41	52.57
Provision for wage revision	308.43	1837.31
Provision for long term employee Benefits	1943.24	1462.44
Others	552.11	846.56
Total	2931.54	4509.61
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on Fixed Assets	31.73	32.46
Interest on securities	1034.68	611.65
Others	427.60	431.92
Total	1494.01	1076.03
Net Deferred Tax Assets/ (Liabilities)	1437.53	3433.58

3.7 आस्तियों की अपसामान्यता:

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - 'आस्तियों की अपसामान्यता' लागू हो।

3.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ**क) प्रावधानों का अलग-अलग विवरण:**

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) आयकर (वर्तमान कर) के लिए प्रावधान	7341.56	7980.75
ख) आयकर (आस्थगित कर आस्ति) के लिए प्रावधान	1398.06	(1315.71)
ग) अनुषंगी लाभ कर	(9.39)	—
घ) अन्य करों के लिए प्रावधान	9.58	3.34
ङ) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	10870.00	6228.77
च) पुनर्संचित आस्तियों के लिए प्रावधान	386.20	825.77
छ) मानक आस्तियों पर प्रावधान	1261.35	152.67
ज) विनिधानों में मूल्यहास के लिए प्रावधान	766.10	(1355.10)
झ) अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान	36.11	264.80
कुल	22059.57	12785.29

(कोष्ठक के आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं।)

ख) अस्थिर प्रावधान:

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अथशेष	645.17	514.64
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	9.15	163.42
ग) वर्ष के दौरान आहरण में कमी	175.11	32.89
घ) अंतिम शेष	479.21	645.17

3.7 Impairment of assets:

In the opinion of the Management, there is no impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

3.8 Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets:**a) Break up of provisions:**

Particulars	Current Year	Previous Year
a) Provision for Income Tax (current tax)	7341.56	7980.75
b) Provision for Income Tax (deferred tax asset)	1398.06	(1315.71)
c) Fringe Benefit Tax	(9.39)	—
d) Provision for other taxes	9.58	3.34
e) Provision for Non-Performing Assets	10870.00	6228.77
f) Provision on Restructured Assets	386.20	825.77
g) Provision on Standard Assets	1261.35	152.67
h) Provision for Depreciation on Investments	766.10	(1355.10)
i) Provision for Other Assets	36.11	264.80
Total	22059.57	12785.29

(Figures in brackets indicate credit)

b) Floating provisions:

Particulars	Current Year	Previous Year
a) Opening Balance	645.17	514.64
b) Addition during the year	9.15	163.42
c) Draw down during the year	175.11	32.89
d) Closing balance	479.21	645.17

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का विवरण:

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में मूल कंपनी और उसके घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष हैं। समूह को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव समूह की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाहों पर पड़ेगा।
2	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	समूह अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। वायदा विनिमय संविदाओं की प्रतिबद्धता विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए है। मुद्रा विनिमयों की प्रतिबद्धताएँ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज / मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। ब्याज दर विनिमय की प्रतिबद्धताएँ स्थिर विनिमय एवं अस्थिर ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ हैं।
3	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपने वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलाप के अंतर्गत समूह अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से समूह के ग्राहकों की ऋण अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
4	अन्य मर्दे जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का एक पक्ष है। समूह की ओर से इन पर प्रतिवाद किया जा रहा है और इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पुनः समूह ने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में श्रेयों का अभिदान करने के वायदे किए हैं।

घ) उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट के निर्णय / न्यायालय के बाहर समझौतों, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यताएँ, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने जैसी भी स्थिति हो, के दायित्व पर आधारित हैं।

ङ) आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों का उतार-चढ़ाव :

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अथशेष	493.26	303.95
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	191.14	215.30
ग) वर्ष के दौरान आहरण में कमी	228.35	25.99
घ) अंतिम शेष	456.05	493.26

4 वेतन करार का कार्यन्वयन

वर्ष के दौरान, नौवें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन की बकाया राशि के संवितरण को अंतिम रूप दिया गया। वेतन संशोधन के लिए किए गए

c) Description of contingent liabilities and contingent assets:

Sr. No	Particulars	Brief Description
1	Claims against the Group not acknowledged as debts	The parent and its constituents are parties to various proceedings in the normal course of business. It does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Group's financial conditions, results of operations or cash flows.
2	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Group enters into foreign exchange contracts, currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with inter-bank participants on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on predetermined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as contingent liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts.
3	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial banking activities, the Group issues documentary credits and guarantees on behalf of its customers. Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Group. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations.
4	Other items for which the Group is contingently liable	The Group is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. These are being contested by the Group and not provided for. Further the Group has made commitments to subscribe to shares in the normal course of business.

d) The contingent liabilities mentioned above are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlements, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be.

e) Movement of provisions against contingent liabilities:

	Current Year	Previous Year
a) Opening Balance	493.26	303.95
b) Additions during the year	191.14	215.30
c) Draw down during the year	228.35	25.99
d) Closing balance	456.05	493.26

4 Wage Agreement Implementation:

During the year, the disbursement of arrears of wages was finalized in accordance with the ninth Bipartite Settlement. An amount of ₹ 1,078.97 crores was written

प्रावधान की राशि के अधिक होने से, 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान समूह के लाभ एवं हानि खाते में ₹ 1078.97 करोड़ की राशि का प्रतिलेखन किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वर्ष के दौरान एसबीआई द्वारा 'विशेष समतुलन भत्ते' के लिए ₹ 168.98 करोड़ की राशि प्रदान की गई।

5. पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के कर्मचारियों को देय भविष्य निधि और पेंशन से संबंधित पिछली सेवा देयता, जिसे विलय के समय स्वीकार किया गया और इसकी राशि ₹ 470.80 करोड़ रही, एक विशेष मद है और इसे समेकित लाभ एवं हानि खाते में "कर्मचारियों को भुगतान एवं के लिए प्रावधान" शीर्ष में शामिल किया गया है।
6. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी क्रमांक बीपी.बीसी. 42/21.01.02/2007-08 के निदेशानुसार रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयरों को देयता माना गया है और उन पर भुगतान किए जाने वाले कूपन को ब्याज माना गया है।
7. आइसीएआइ द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए - समेकित वित्तीय विवरण की यथातथ्यता और उपयुक्तता पर कोई प्रभाव न होने के कारण उसमें - मूल कंपनी और अनुषंगियों के अलग वित्तीय विवरणों में उल्लिखित ऐसी सांविधिक सूचनाओं का जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, यहां समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
8. जहां भी आवश्यक था विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुल्य बनाने के लिए पुनर्समूहित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है। ऐसे मामलों में जहां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किए गए हैं - पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

back to the Profit & Loss Account of the group during the year ended on 31st March 2011 being excess amount of provision for wage revision. Further, an amount of ₹ 168.98 crores was provided by SBI during the year for "Special Balancing Allowance".

5. The past service liability in respect of provident fund and pension payable to employees of e-SBIN taken over on merger amounting to ₹ 470.80 crores is an exceptional item and included in the head of "Payment to and provisions for employees" in the consolidated profit and loss account.
6. In accordance with RBI circular DBOD NO.BP.BC.42/21.01.02/2007-08 redeemable preference shares are treated as liabilities and the coupon payable thereon is treated as interest.
7. Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the parent and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statements in view of the general clarifications issued by ICAI.
8. Previous year's figures have been regrouped/ reclassified, wherever necessary, to conform to current period classification. In cases where disclosures have been made for first time in terms of RBI guidelines/ Accounting Standards, previous year figures have not been mentioned.

(दिवाकर गुप्ता)

(Diwakar Gupta)

प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी

Managing Director & Chief Financial Officer

(ए. कृष्ण कुमार)

(A. Krishna Kumar)

प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)

Managing Director & Group Executive (NB)

(हेमंत जी. कान्द्रेक्टर)

(H. G. Contractor)

प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)

Managing Director & Group Executive (IB)

(आर. श्रीधरन)

(R. Sridharan)

प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियां)

Managing Director & Group Executive (A&S)

(प्रतीप चौधरी)

(Pratip Chaudhuri)

अध्यक्ष

Chairman

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

In terms of our Report of even date

कृते कल्याणीवाला एण्ड मिस्ट्री

For Kalyaniwalla & Mistry

सनदी लेखाकर

Chartered Accountants

(विराफ आर. मेहता)

(Viraf R. Mehta)

भागीदार

Partner

सदस्यता क्रमांक / M.No. 32083

फर्म पंजीकरण सं. / Firm Registration No. 104607 W

कोलकाता, 17 मई, 2011

Kolkata, 17th May 2011

भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) STATE BANK OF INDIA (CONSOLIDATED)

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010
	₹	₹
I. परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	43900,13,17	(8372,38,53)
II. विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(1646,01,95)	(1344,61,47)
III. वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	1251,55,95	(3272,61,32)
IV. विनिमय घट-बढ़ नकदी प्रवाह		
CASH FLOW ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION	(32,08,81)	(418,21,12)
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन		
NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	43473,58,36	(13407,82,44)
V. नकदी एवं नकदी समतुल्य - वर्ष के आरंभ में		
CASH AND CASH EQUIVALENTS - OPENING	111853,87,12	125261,69,56
VI. नकदी एवं नकदी समतुल्य - वर्ष के अंत में		
CASH AND CASH EQUIVALENTS - CLOSING	155327,45,48	111853,87,12
I. परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before taxes	19424,76,53	18402,21,30
समायोजन ADJUSTMENT FOR:		
मूल्यह्रास शुल्क Depreciation charge	1380,55,16	1321,56,46
स्थिर आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल) (Profit)/Loss on sale of fixed assets (Net)	20,74,79	9,94,81
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for NPAs	11256,20,62	6228,77,13
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Standard Assets	1261,34,96	152,67,07
भारत में निवेशों पर मूल्यह्रास Depreciation on Investments in India	741,90,27	(1243,27,73)
भारत के बाहर निवेशों पर मूल्यह्रास Depreciation on Investments Outside India	24,19,63	(111,82,57)
विनिधानों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल) (Profit)/Loss on sale of investments (Net)	(3091,75,23)	(4930,43,83)
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि (Profit)/Loss on revaluation of investments	135,12,21	(3022,98,14)
अन्य आस्तियों पर प्रावधान Provision on other assets	2,58,95	129,13,12
अन्य प्रावधान Other Provisions	33,51,48	961,43,45
वर्ष के दौरान अपलिखित आस्थगित आय खर्च		
Deferred Revenue Expenditure written off during the year	18,22,03	6,90,26
बांडों पर संदत्त ब्याज (वित्तीय कार्यकलाप)		
Interest paid on Bonds (Financing Activity)	4031,45,63	3520,54,39
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश/अर्जित आय (निवेश कार्यकलाप)		
Dividend/Earnings from Associates (Investing activity)	(223,26,31)	(229,52,26)
प्रदत्त Taxes Paid	(7672,20,51)	(8444,43,35)
उप योग / SUB TOTAL	27343,40,21	12750,70,11
समायोजन Adjustment for:		
जमा राशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Deposits	139097,91,98	104476,23,82
उधार राशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Borrowings	13575,75,03	14032,55,34
विनिधानों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Investments	(4131,61,41)	(31757,08,01)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Advances	(148156,11,54)	(125368,02,88)

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions	27849,87,35	14131,77,63
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Other Assets	(11679,08,45)	3361,45,46
परिचालन कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध निवल नकदी (प्रयुक्त) NET CASH FROM / (USED IN) OPERATING ACTIVITIES	43900,13,17	(8372,38,53)
II. विनिधान कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
सहयोगियों के विनिधानों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Investments in Associates	4,95,69	547,79,04
ऐसे विनिधानों पर अर्जित आय Income earned on such Investments	223,26,31	229,52,25
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Fixed Assets	(1874,23,95)	(2121,92,76)
विनिधान कार्यकलाप द्वारा उपलब्ध कराई गई निवल नकदी NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES	(1646,01,95)	(1344,61,47)
III. वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह		
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
पूंजी निर्गम से प्राप्त राशि Proceeds from issue of Capital	27,68	38,50
बांड इश्यू Issue of Bonds	6838,98,00	3437,46,26
गौण बांड प्रतिसंदाय Repayment of Subordinated Bonds	—	(289,00,00)
बांडों पर संदत्त ब्याज Interest Paid on Bonds	(4031,45,63)	(3520,54,39)
संदत्त लाभांश उस पर कर सहित Dividends Paid including tax thereon	(1420,22,28)	(2821,38,33)
अनुषंगियों द्वारा संदत्त लाभांश Dividends tax Paid by subsidiaries	(136,01,82)	(79,53,36)
वित्तीय कार्यकलाप से / (प्रयुक्त) निवल नकदी NET CASH FROM / (USED IN) FINANCING ACTIVITIES	1251,55,95	(3272,61,32)
IV. विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण नकदी प्रवाह		
CASH FLOW ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION		
विदेशी मुद्रा विनिमय रिज़र्व Foreign Currency Translation Reserve	(13,55,15)	(54,32,29)
अन्य-विदेशी मुद्रा बांडों का पुनर्मूल्यन Others-Revaluation of foreign currency bonds	(18,53,66)	(363,88,83)
विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण निवल नकदी प्रवाह Net Cashflows on A/C of Exchange Fluctuation	(32,08,81)	(418,21,12)

(₹ हजार में)
(₹ in thousand)

	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011	31.3.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2010
V. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य CASH AND CASH EQUIVALENTS - OPENING		
हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित है) Cash in hand (including FC notes & gold)	8657,22,06	5462,49,27
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशियाँ Balances with Reserve Bank of India	73538,36,00	68698,57,39
बैंकों में जमा राशियाँ तथा मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियाँ Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	29658,29,06	51100,62,90
योग TOTAL	111853,87,12	125261,69,56
VI. वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य CASH AND CASH EQUIVALENTS - CLOSING		
हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित है) Cash in hand (including FC notes & gold)	9148,70,38	8657,22,06
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशियाँ Balances with Reserve Bank of India	110201,13,02	73538,36,00
बैंकों में जमा राशियाँ तथा मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियाँ Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	35977,62,08	29658,29,06
योग TOTAL	155327,45,48	111853,87,12

(दिवाकर गुप्ता)

(Diwakar Gupta)

प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी

Managing Director & Chief Financial Officer

(ए. कृष्ण कुमार)

(A. Krishna Kumar)

प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)

Managing Director & Group Executive (NB)

(हेमंत जी. कान्द्रेक्टर)

(H. G. Contractor)

प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (आंतरराष्ट्रीय बैंकिंग)

Managing Director & Group Executive (IB)

(आर. श्रीधरन)

(R. Sridharan)

प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ)

Managing Director & Group Executive (A&S)

(प्रतीप चौधरी)

(Pratip Chaudhuri)

अध्यक्ष

Chairman

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

In terms of our Report of even date

कृते मेसर्स कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री

For Kalyaniwalla & Mistry

सनदी लेखाकर

Chartered Accountants

(विराफ आर. मेहता)

(Viraf R. Mehta)

भागीदार

Partner

सदस्यता क्रमांक / M.No. 32083

फर्म पंजीकरण सं. / Firm Registration No. 104607 W

कोलकाता, 17 मई, 2011

Kolkata, 17th May 2011

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक बोर्ड को

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (इस बैंक), इसकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों (इस समूह) की 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण का परीक्षण किया है इनमें :

- i. हमारे सहित 14 (चौदह) संयुक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित बैंक के खाते,
- ii. अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 28 (अट्ठाईस) अनुषंगियों, 25 (पच्चीस) सहयोगियों और 8 (आठ) संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षित खाते,
- iii. 2 (दो) अनुषंगियों, और 1 (एक) सहयोगी के अलेखापरीक्षित खाते।

ये समेकित वित्तीय विवरण बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं और ये अलग अलग वित्तीय विवरणों और समूह की भिन्न इकाइयों से संबंधित अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं। हमारी जिम्मेदारी, अपने लेखा-परीक्षा कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है।

2. हमने अपना लेखा-परीक्षा-कार्य भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के आधार पर किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और उसे इस प्रकार निष्पादित करें, जिससे हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरण हर तरह से निर्धारित रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार तैयार किए गए हैं, इसमें विषय - वस्तु संबंधी कोई गलत विवरण नहीं दिए गए हैं। लेखा-परीक्षा में राशि के समर्थन और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण संबंधी साक्ष्यों की नमूना-परीक्षण आधार पर जाँच सम्मिलित है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा-परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए एक समुचित आधार प्रदान करता है।

3. हमने 13 अन्य संयुक्त लेखा परीक्षकों के साथ बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिनके वित्तीय विवरणों में

AUDITOR'S REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TO THE BOARD OF DIRECTORS, STATE BANK OF INDIA

1. We have examined the attached Consolidated Balance sheet of State Bank of India (the Bank), its subsidiaries, associates and joint ventures (the Group) as at March 31, 2011, and the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended in which are incorporated the :

- i. Audited accounts of the Bank audited by 14 (fourteen) Joint Auditors including us,
- ii. Audited accounts of 28 (twenty eight) subsidiaries, 25 (twenty five) Associates and 8 (Eight) joint ventures audited by other auditors,
- iii. Unaudited accounts of 2 (two) subsidiaries and 1 (one) associate.

These Consolidated financial statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information of the different entities in the Group. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared, in all material aspects in accordance with identified reporting framework and free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. We have jointly audited the financial statement of the Bank along with 13 other joint auditors, whose financial statements reflect total assets of

31 मार्च 2011 को ₹ 1,223,736 करोड़ की कुल आस्तियाँ और ₹ 97,219 करोड़ की कुल आय और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 36,685 करोड़ की राशि के निवल नकदी प्रवाह दिखाए गए हैं।

4. हमने इनकी अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनमें 31 मार्च 2011 को ₹ 4,37,099 करोड़ की कुल आस्तियाँ और ₹ 52,145 करोड़ की कुल आय और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 3,614 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह दिखाए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई हैं और जहां तक अन्य इकाइयों के संबंध में शामिल राशियों का सवाल है, उनके बारे में हमारा अभिमत पूर्ण रूप से अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है।
5. हमने 2 (दो) अनुषंगियों, और 1 (एक) सहयोगी के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च 2011 को ₹ 3,378 करोड़ की कुल आस्तियाँ, ₹ 153 करोड़ की कुल आय और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के ₹ (123) करोड़ के निवल नकदी प्रवाह प्रदर्शित किए गए हैं, को भी अपनी लेखा परीक्षा में शामिल किया है।
6. हम रिपोर्ट करते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों को, बैंक प्रबंधन द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-21- "समेकित वित्तीय विवरण", लेखा मानक-23 "समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश का लेखा" और लेखा मानक-27- "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्ट" के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है।
7. अपनी राय को परिवर्तित किए बिना, हम आपका ध्यान समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 - लेखा-टिप्पणियों के टिप्पण 3.1.5 की ओर आकर्षित करते हैं, जो निम्नानुसार हैं;
 - क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने पत्र क्रमांक बीडीओडी/बीपी/ क्रमांक/16165/21.04.018/2010-11 दिनांक 18 अप्रैल 2011 में दी गई अनुमति के अनुसार वेतन संशोधन के कारण पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में अतिरिक्त पेंशन लागत के कारण ₹ 7,927.41 करोड़ की राशि को आरक्षित खाते से शामिल करना।
 - ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 के अनुसार बैंक की ग्रेच्युटी और पेंशन देयता के रूप में ₹ 400 करोड़ की राशि आस्थगित करना।

₹ 1,223,736 crores as at March 31, 2011, and total revenue of ₹ 97,219 crores and net cash outflows amounting to ₹ 36,685 crores for the year then ended.

4. We did not audit the financial statements of its Subsidiaries, Associates and Joint Ventures whose financial statements reflects total assets of ₹ 437,099 crores as at March 31, 2011, and total revenue of ₹ 52,145 crores and net cash flows amounting to ₹ 3,614 crores for the year then ended. These financial statements have been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included in respect of other entities, is based solely on the report of the other auditors.
5. We have also relied on the unaudited financial statements of 2 (two) subsidiaries and 1 (one) associate, whose financial statements reflect total assets of ₹ 3,378 crores as at March 31, 2011, total revenue of ₹ 153 crores and net cash flows amounting to ₹ (123) crores for the year then ended.
6. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank's management in accordance with the requirement of the Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 - "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27 - "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of Reserve Bank of India.
7. Without qualifying our opinion, we draw your attention to Note 3.1.5 of Schedule 18 Notes to Accounts to the consolidated financial statements regarding :
 - a. charge of ₹ 7,927.41 crores to Reserves on account of the additional pension cost in respect of earlier years due to wage revision in accordance with the dispensation granted by Reserve Bank of India to the Bank vide their letter number DBOD/BP/No./16165/21.04.018/2010-11 dated April 18, 2011,
 - b. deferment of gratuity liability of the Bank to the extent of ₹ 400 crores in accordance with RBI circular no. DBOD.BP.BC.80 /21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011,

- ग. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लेखा मानक (एएस) 15, कर्मचारी हितलाभ के प्रावधान लागू करने से बैंक को दी गई छूट देशीय बैंकिंग अनुषंगियों की ग्रेच्युटी एवं पेंशन देयताओं के रूप में ₹ 1,885.24 करोड़ की राशि आस्थगित करना और
8. अपनी लेखा परीक्षा और भिन्न-भिन्न वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उसके घटकों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने पर तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारा विचार है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण - भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा-परीक्षा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है:
- क. 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए समूह की स्थिति के संबंध में समेकित तुलन पत्र;
- ख. इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ और हानि खाते में समेकित लाभ के संबंध में;
- ग. इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में।
- c. deferment of the gratuity and pension liabilities of Domestic Banking Subsidiaries to the extent of ₹ 1,885.24 crores in accordance with RBI circular no. DBOD.BP.BC.80 /21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011, and the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Bank from applicability of provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits.
8. Based on our audit and on consideration of the reports of other auditors on separate financial statements, the unaudited financial statements and the other financial information of the components and to the best of our information and according to the explanations given to us, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India :
- a. In the case of Consolidated Balance Sheet on the state of affairs of the Group as at March 31, 2011;
- b. In the case of Consolidated Profit and loss account of the consolidated profit of the Group for the year ended on that date; and
- c. In the case of the Consolidated Cash Flow Statement of the Cash Flows of the Group for the year ended on that date.

कृते और की ओर से
कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री
सनदी लेखाकर

विराफ आर. मेहता
भागीदार

सदस्यता सं. : 32083
फर्म पंजीकरण सं. 104607W

For and on behalf of
KALYANIWALLA & MISTRY
Chartered Accountants

Viraf R. Mehta
Partner

Membership No. : 32083
Firm Registration No. 104607W

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 17 मई 2011

Place : Kolkata
Dated : 17th May 2011